



केनरा ज्योति

अंक : 43

जनवरी-मार्च 2025



केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank
A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can



दिनांक 25 नवंबर 2024 को प्रधान कार्यालय के बोर्ड रूम में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 194वीं बैठक के दौरान केनरा ज्योति के 42वें अंक का विमोचन करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. सत्यनारायण राजु, कार्यपालक निदेशक श्री अशोक चंद्र, मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग श्री डी सुरेन्द्रन, मुख्य महाप्रबंधक, अनुपालन व जोखिम आधारित पर्यवेक्षण विभाग, श्री राकेश कश्यप, मुख्य महाप्रबंधक, परिचालन विभाग, श्रीमती के कल्याणी, महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग श्री टी के वेणुगोपाल, सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), श्री ई रमेश।



दिनांक 04 जनवरी 2025 को दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ़ मोहम्मद खां एवं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानन्द राय के करकमलों से श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नराकास (बैंक) बेंगलूरु को नराकास राजभाषा सम्मान का 'प्रथम पुरस्कार' प्राप्त करते हुए मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री टी. के. वेणुगोपाल एवं सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), श्री ई रमेश।



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी



श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक



श्री डी. सुरेन्द्र
मुख्य महाप्रबंधक



श्री टी. के. वेणुगोपाल
महाप्रबंधक



श्री ई. रमेश
सहायक महाप्रबंधक व
मुख्य संपादक

संपादक

श्री मनीष अभिमन्यू चौरसिया, अधिकारी

संपादन सहयोग

श्री जी. अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री मयंक पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक
श्रीमती आर्या विश्वनाथ, वरिष्ठ प्रबंधक

बिक्री के लिए नहीं

प्रकाशन : केनरा बैंक,
राजभाषा अनुभाग,
मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय
112, जे.सी. रोड,
बेंगलूरु - 560 002
दूरभाष : 080-2223 4079
ई-मेल: hool@canarabank.com
वेबसाइट :
www.canarabank.com

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

पत्रिका में अभिव्यक्त विचार लेखकों के
अपने हैं। केनरा बैंक का उनसे सहमत
होना ज़रूरी नहीं है।



विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश - के. सत्यनारायण राजु	2
मुख्य संपादक का संदेश - ई. रमेश	3
नारी: उत्तर और दक्षिण भारत के समाज में उनकी स्थिति और भागीदारी - अभ्युदय राज सिन्हा	4
निवेश - अल्पना शर्मा	8
दुनिया की बेटी - जतिन कुमार	12
माँ! - ऋचा बैजल	13
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं का योगदान - अविनाश कुमार	14
सावित्रीबाई फुले: महिला शिक्षा की प्रथम अन्वेषक - प्रदीप राज एस.	18
भारतीय न्याय प्रणाली में महिलाओं की स्थिति - रवि कुमार सिन्हा	22
पापा, एक बार फिर हाथ पकड़ लो ना! - विशाखा तिवारी	24
महिला सशक्तिकरण और केनरा एंजेल - श्वेता शर्मा	25
दिनांक 21.02.2025 को आयोजित अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की झलकियाँ	26
कलि-कथा वाया बाइपास - अलका सरावगी - पुस्तक समीक्षा - निशा शर्मा	28
नारी सशक्तिकरण : एक नया सवेरा - रोहित कुमार	33
नारी तू नारायणी - रीमा बनर्जी	36
भारतीय समाज में नारी की स्थिति - मिहिर कुमार मिश्र	37
भारतीय समाज में महिला सुरक्षा के विविध आयाम - सीमा	41
अंतराष्ट्रीय महिला दिवस - शिखा श्रीवास्तव	44
स्त्री: आगे बढ़ने की चाहत - शिवानी तिवारी	46
नारी की शक्ति: एक नई पहचान - सीमा गुप्ता	49
नारी की पहचान - शिवानी कुमारी	52

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय केनराइट्स !

केनरा बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका केनरा ज्योति के 43वें अंक को महिला दिवस विशेषांक के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। बैंकिंग में राजभाषा व क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से न केवल हम अपने ग्राहकों को उनकी मातृभाषा में सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं बल्कि इससे बैंक और ग्राहक के बीच बेहतर संवाद भी स्थापित होता है। यही कारण है कि हमारा बैंक हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा के प्रशिक्षण व कार्यालयीन कार्यों में इसके प्रयोग पर जोर दे रहा है।

मुझे 2024-25 की तीसरी तिमाही के परिणाम आपके समक्ष रखते हुए खुशी हो रही है। हमारे बैंक का वैश्विक कारोबार दिसंबर 2024 तक 9.30%(वर्षानुवर्ष) की वृद्धि के साथ 24,19,171 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वैश्विक जमा राशि 13,69,465 करोड़ 8.44% (वर्षानुवर्ष) और वैश्विक अग्रिम 10,49,706 करोड़ 10.45% (वर्षानुवर्ष)। उपरोक्त परिणाम आप सभी के समेकित प्रयास का परिणाम है इसलिए मैं सभी केनराइट्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना किसी भी बैंक की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को विदित है कि हमारे बैंक का कासा अपने समक्ष बैंकों के मुकाबले कम है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में जहाँ कई एनबीएफसी, पेमेंट बैंक बाज़ार में उतर आए हैं ऐसी स्थिति में यह हम सभी केनराइट्स का मूल दायित्व बन जाता है कि हम अपने बैंक के कासा में वृद्धि लाने का भरसक प्रयास करें। यदि हम एक टीम के रूप में कार्य करेंगे तो हम हमारे बैंक को आने वाले समय में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखेंगे। मैंने प्रत्येक केनराइट्स को 'प्रत्येक एक, स्रोत दस' के तहत रु. 10 लाख का जमा संग्रहण करने का आह्वान किया है।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष विश्व महिला दिवस का थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। केनरा बैंक ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, उनको समाज में समान अधिकार का दर्जा दिलाने का साक्षी रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमारे बैंक ने केनरा एसएचजी, केनरा एंजल, केनरा स्त्री शक्ति योजना, केनरा बैंक सीईडी, महिला विकास योजना जैसे कई उत्पाद लाँच किए हैं। इन सभी उत्पादों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना। हमारा बैंक अपने उद्देश्य को केवल अपने ग्राहकों तक सीमित नहीं रखता है बल्कि अपने केनराइट्स को



भी समान अवसर प्रदान करता है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बैंक के कई विभागों का नेतृत्व उच्च प्रबंधन द्वारा चयनित महिला कार्यपालकगणों को सौंपा गया है। यही नहीं हम समय-समय पर सीएसआर के माध्यम से बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बैंक महिला सशक्तिकरण, देश और समाज के प्रति अपने दायित्व को बखूबी समझकर उस पर कार्य भी कर रहा है।

'केनरा ज्योति' हमारे कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है। आप सभी लेखकों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है कि हमें 'राजभाषा कीर्ति' जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आप सभी लेखकों और संपादक मंडल से आग्रह करूँगा कि वे इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखें और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें।

साथियों आज के तकनीकी दौर में जहाँ पत्र, पत्रिकाएँ अपनी अस्मिता को बनाए रखने हेतु कठिन प्रयत्न कर रही हैं, ऐसे में केनरा ज्योति से जुड़े लेखकों, पाठकों व संपादन मंडल का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो आज भी चुनौतीपूर्ण कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आप सभी रचनाकार अपनी रचनाओं से केनरा ज्योति पत्रिका को अलंकृत करते रहें ताकि इसकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहे।

शुभकामनाओं सहित,

के.एस. राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी



मुख्य संपादक का संदेश

प्रिय पाठकों,

केनरा ज्योति पत्रिका का 43वां अंक आप सभी के समक्ष पुनः रखते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। किसी भी बैंकिंग पत्रिका की खूबसूरती उसके आकर्षक कवर पेज या सुंदर कलेवर से नहीं होती, बल्कि उसकी भाषा, विषयवस्तु, उपयोगिता और पाठकों से जुड़ाव में निहित होती है। यह पत्रिका न केवल बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराती है बल्कि पाठकों को वित्तीय साक्षरता, और नवोन्मेषी बैंकिंग विषयों से पाठकों को अवगत कराती है। इसी क्रम में हम इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केनरा ज्योति के इस अंक को महिला विशेषांक अंक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं।

हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि केनरा ज्योति के इस विशेषांक को हम महिला सशक्तिकरण को समर्पित कर रहे हैं। नारी, जो सृजन, शक्ति और संवेदना की मूर्त रूप है, आज जीवन के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। चाहे वह शिक्षा हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो या फिर समाज सेवा - हर क्षेत्र में महिलाएँ न केवल अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं से नए आयाम भी स्थापित कर रही हैं।

भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं ने संघर्ष और उपलब्धियों की अनगिनत कहानियाँ लिखी हैं। आज, जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, अब महिलाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण

हो गई है। वे सशक्त भारत की आधारशिला बनकर उभर रही हैं और अपनी आत्मनिर्भरता से समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। इस विशेषांक में हमने उन महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया है, जिन्होंने अपने साहस और संकल्प के बल पर समाज में एक नई पहचान बनाई है। साथ ही, हमने महिला उद्यमिता, वित्तीय सशक्तिकरण, शिक्षा और कार्यक्षेत्र में उनकी बढ़ती भूमिका पर भी विशेष लेख प्रस्तुत किए हैं।

केनरा बैंक, एक प्रगतिशील वित्तीय संस्थान होने के नाते, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे विभिन्न वित्तीय उत्पाद, उद्यमिता ऋण योजनाएँ और महिला हितैषी सेवाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आइए, हम सभी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि हम हर महिला को सम्मान देंगे, उनके स्वप्नों को साकार करने में सहयोग करेंगे और एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँगे।

नारी सशक्त होगी, तो समाज समर्थ होगा।

एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी न केवल अपना भाग्य बादल सकती है, बल्कि समाज की दिशा भी मोड़ सकती है।

अनेक शुभकामनाओं सहित

आपका,

ई रमेश

सहायक महाप्रबंधक व मुख्य संपादक



आलेख

नारी: उत्तर और दक्षिण भारत के समाज में उनकी स्थिति और भागीदारी



अभ्युदय राज सिन्हा

अधिकारी, विपणन अनुभाग
अंचल कार्यालय, मदुरै

भूमिका

भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाएँ हैं। महिलाओं की स्थिति और उनकी समाज में भागीदारी भी उत्तर और दक्षिण भारत में भिन्न है। मैंने उत्तर भारत में 25 वर्ष बिताए हैं, जहाँ मैंने विभिन्न राज्यों की महिलाओं की स्थिति को करीब से देखा। इसके बाद, पिछले तीन वर्षों से मैं तमिलनाडु में एक बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इस दौरान मुझे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने का अवसर मिला।

इस लेख में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ-साथ ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टान्तों के माध्यम से उत्तर और दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करूँगा।

1. मेरे अनुभव: उत्तर और दक्षिण भारत में महिलाओं के साथ संवाद

बचपन और युवा अवस्था में उत्तर भारत में अनुभव

उत्तर भारत में मेरे बचपन के दौरान महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित थी। गाँवों और छोटे कस्बों में लड़कियों को घर के कार्यों में अधिक शामिल किया जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाई और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हालाँकि, मेरे परिवार में महिलाएँ शिक्षित थीं,

लेकिन उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य विवाह और गृहस्थी संभालना ही माना जाता था।

कॉलेज के दिनों में मैंने देखा कि उत्तर भारत में कई महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर पर विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव रहता था। बहुत-सी लड़कियों को पढ़ाई में रुचि होने के बावजूद करियर में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। नौकरी करने वाली महिलाएँ भी प्रायः शिक्षण या सरकारी सेवाओं तक सीमित रहती थीं, जबकि निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी।

तमिलनाडु में बैंक अधिकारी के रूप में मेरा अनुभव

तमिलनाडु में बैंक अधिकारी के रूप में काम करते हुए मेरा अनुभव उत्तर भारत से अलग रहा। जब मैं ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत था, तब मैंने देखा कि यहाँ की महिलाएँ वित्तीय रूप से अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर हैं। वे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से छोटे-मोटे व्यवसाय चला रही थीं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी। कई बार ग्रामीण महिलाएँ ही अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ होती हैं।

मदुरै जैसे शहर में काम करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि यहाँ महिलाएँ कार्यस्थल पर अधिक आत्मविश्वास से भरी होती हैं। सार्वजनिक परिवहन, कॉर्पोरेट कार्यालय, सरकारी संस्थान और खुदरा व्यापार-हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय थी। दक्षिण भारत की महिलाएँ कार्यक्षेत्र में अधिक सक्रिय दिखाई दीं और वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने करियर को संतुलित करने में अधिक सक्षम लगीं।

2. उत्तर और दक्षिण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति:

उत्तर भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति:

उत्तर भारत के राज्यों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रकाशित Women and Men in India 2023 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। उदाहरण के लिए, बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग 60% है, जो राष्ट्रीय औसत 70.3% से कम है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर भी अपेक्षाकृत कम है। 2022-23 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 37% थी, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में यह दर इससे कम पाई गई।

दक्षिण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति:

दक्षिण भारत के राज्यों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। केरल में महिला साक्षरता दर 92.2% है, जो देश में सबसे अधिक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। महिला श्रम बल भागीदारी के मामले में, दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और सेवा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। PLFS 2022-23 के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक पाई गई।

3. उत्तर और दक्षिण भारत में महिलाओं की शिक्षा:

उत्तर भारत में महिलाओं की शिक्षा:

उत्तर भारत में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। Women and Men in India 2023 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 63.4% है, जबकि राजस्थान में यह 57.6% है। इन राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है, लेकिन उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों की शिक्षा में रुकावटें आती हैं।



दक्षिण भारत में महिलाओं की शिक्षा:

दक्षिण भारत में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केरल में महिला साक्षरता दर 92.2% है, जो देश में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में यह दर 80% से अधिक है। इन राज्यों में लड़कियों का प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन उच्च है। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में महिला छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा के प्रति इस जागरूकता ने महिलाओं को विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद की है।

4. शिक्षा, सामाजिक स्वतंत्रता और त्योहारों में महिलाओं की भागीदारी

उत्तर भारत में शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता:

उत्तर भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता में प्रगति हो रही है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, पारिवारिक दबाव और रूढ़िवादी सोच के कारण लड़कियों की उच्च शिक्षा में बाधाएँ आती हैं। हालाँकि, शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना चावला, जो हरियाणा से थीं, ने नासा में अंतरिक्ष यात्री बनकर देश का नाम रोशन किया।

दक्षिण भारत में शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता:

दक्षिण भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में महिला साक्षरता दर उच्च है और महिलाएँ उच्च शिक्षा के साथ-साथ पेशेवर क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए, किरण

मजूमदार-शॉ, जो कर्नाटक से हैं, ने बायोकॉन की स्थापना की और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनीं।

त्योहारों में महिलाओं की भागीदारी:

उत्तर और दक्षिण भारत में त्योहारों के दौरान महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। उत्तर भारत में करवा चौथ, तीज, और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में महिलाएँ विशेष रीति-रिवाजों का पालन करती हैं। दक्षिण भारत में पोंगल, ओणम और दीपावली जैसे त्योहारों में महिलाएँ पारंपरिक परिधानों में सजती हैं, रंगोली बनाती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। इन त्योहारों के माध्यम से महिलाएँ न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोती हैं, बल्कि सामाजिक एकता और परिवारिक संबंधों को भी मजबूत करती हैं।

5. कार्यक्षेत्र और आर्थिक भागीदारी: सरकारी योजनाएँ और पहले

उत्तर भारत में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी:

उत्तर भारत में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी में वृद्धि हो रही है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ मुख्यतः कृषि, हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों में संलग्न हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हालाँकि, सामाजिक बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं के कारण उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है।

दक्षिण भारत में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी:

दक्षिण भारत में महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। आईटी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में महिलाएँ सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, केरल में महिलाएँ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में प्रमुख योगदान दे रही हैं।

सरकारी योजनाएँ और पहले:

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएँ और पहले शुरू की हैं। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य करना और महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसमें रोजगार सृजन और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं।

हाल ही में, 2025 के बजट में, सरकार ने पहली बार महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी में वृद्धि होगी।

6. ऐतिहासिक दृष्टिकोण: उत्तर और दक्षिण भारत की प्रमुख महिलाएँ

उत्तर भारत की प्रमुख महिलाएँ:

उत्तर भारत के इतिहास में कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, झाँसी की रानी, ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। बेगम हजरत महल ने अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू ने सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं।

दक्षिण भारत की प्रमुख महिलाएँ:

दक्षिण भारत में भी कई महिलाएँ इतिहास में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। रानी चेंनम्मा ने कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। आधुनिक समय में, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और भारत रत्न से सम्मानित हुईं।

7. स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947) में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही है। उन्होंने न केवल सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिकाएँ भी निभाईं, जिससे स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम:

1857 के विद्रोह में, रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना दिया।

इसी विद्रोह में, बेगम हजरत महल ने अवध क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश शासन को चुनौती मिली।

गांधीवादी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी:

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। उत्तर भारत में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महिलाओं ने असहयोग आंदोलन (1920), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। कमला नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं को संगठित किया। दक्षिण भारत में, कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और हरिजन आंदोलन में सक्रिय रहीं। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया और संविधान सभा की सदस्य बनीं।

क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका:

कुछ महिलाओं ने सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। उदाहरण के लिए, कल्पना दत्त ने मास्टरदा सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार हमले में भाग लिया। प्रीतिलता वड्डेदार ने भी इसी क्रांतिकारी समूह के साथ काम किया और एक ब्रिटिश क्लब पर हमले का नेतृत्व किया।

महिलाओं की संख्या और योगदान:

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न स्रोतों के अनुसार, हजारों महिलाओं ने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका योगदान न केवल आंदोलनों तक सीमित था, बल्कि उन्होंने जेल यातनाएं, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

इन महिलाओं के साहस, बलिदान और नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनीं।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली है, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत में उनकी भागीदारी और अधिकारों को लेकर आज भी कई अंतर देखे जा सकते हैं। जहाँ दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में महिलाओं को अधिक अवसर मिले हैं, वहीं उत्तर भारत में कई जगहों पर अभी भी पारंपरिक सोच और सामाजिक बाधाएँ उनके विकास में अवरोध पैदा करती हैं। हालाँकि, सरकारी नीतियों, महिला सशक्तिकरण अभियानों और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण के कारण पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रही है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और दुर्गाबाई देशमुख जैसी महिलाओं ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। स्वतंत्रता के बाद भी, राजनीति, विज्ञान, कला, खेल और उद्यमिता में महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर और कार्यक्षेत्र में भागीदारी अधिक देखी जाती है, जिससे वहाँ का सामाजिक विकास भी बेहतर हुआ है।

सरकार द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएँ महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक रही हैं। आने वाले समय में, यदि समाज और सरकार मिलकर महिलाओं को समान अवसर प्रदान करें और उनकी सुरक्षा, शिक्षा व रोजगार पर विशेष ध्यान दें, तो भारतीय महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों को और सशक्त बनाएंगी बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगी।

उत्तर और दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति में कई अंतर हैं, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। दक्षिण भारत में महिलाएँ शिक्षा, कार्यक्षेत्र और स्वतंत्रता में अधिक आगे हैं, जबकि उत्तर भारत में अभी भी कई सामाजिक बाधाएँ मौजूद हैं। हालाँकि, नई पीढ़ी की महिलाएँ इन बाधाओं को तोड़ रही हैं और आने वाले वर्षों में पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति और सशक्त होगी।

“नारी शक्ति की पहचान ही सशक्त भारत की पहचान है।”



कहानी

निवेश



अल्पना शर्मा

ग्राहक सेवा सहयोगी
गंगानगर, मेरठ शाखा

मैडम! राकेश ने केबिन में दाखिल होते हुए कहा।
'हाँ बोलो!' सोनाली ने सामने पड़ी फ़ाइलों पर से नज़र उठाए बिना ही पूछा।

'आपसे कोई मिलने आया है। मैंने तो कहा कि अब आपसे मिलना संभव नहीं है, कल आएँ, पर वो कह रहीं हैं कि आपको जानती हैं।'

'नाम पूछा?'

'जी मैडम! राखी!'

'मैंने तो आज किसी राखी को नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, बुला लो।'

छुट्टी का दिन था, पर सोनाली अपना पुराना काम निपटाने शाखा आ गई थी। राकेश ने आधा गिरा शटर उठाया तो एक 30-32 साल की लड़की, एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ शाखा में दाखिल हुई। उत्सुकता में सोनाली ने दोनों को आते हुए देखा। लड़की के चेहरे का तेज बता रहा था कि किसी अच्छे पद पर है, पर सोनाली उसे जानती नहीं थी। महिला को देखकर एक बार को लगा जैसे पहले कभी मिली है, पर याद नहीं आया। इतने में दोनों केबिन में उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। दोनों ने बड़े सलीके से हाथ जोड़कर उससे नमस्ते की और पहचान की अपेक्षा से उसकी ओर देखने लगीं।

'मैम! पहचाना?' लड़की ने पूछा।

'हल्का-सा कुछ ध्यान तो आ रहा है, पर कनेक्ट नहीं कर पा रही।'

'मेरा नाम राखी है और ये मेरी मम्मी। हम आपसे शोभापुर ब्रांच में मिले थे, जहाँ आप शाखा प्रबंधक थीं। शायद आपको याद नहीं, पर उस समय आपने हमारी बहुत मदद की थी।'

'ओह! राखी - कैसी हो तुम?' उसने तुरंत घंटी बजाकर राकेश से चाय लाने को कहा।

शाखा प्रबंधक के पद पर शोभापुर ब्रांच में उसकी पहली पोस्टिंग थी। पदोन्नति होते समय इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इस एक पड़ाव को पार करते ही कितने बदलावों से गुज़रना पड़ता है। प्रबंधक बनते ही आप बैंक के प्रबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। काफी कुछ, जो पहले दिखता नहीं था, वो अचानक से मैनेज करना पड़ता है। कोई स्टाफ सपोर्ट करना नहीं चाहता, कोई ग्राहक बैंक में सिर्फ शिकायतें लेकर आता है और फिर आला अधिकारियों की उम्मीदें, ये सब समस्याएं बड़ी दिखने लगती हैं। फिर आज भी समाज में महिला अधिकारियों के प्रति स्टाफ और ग्राहकों का व्यवहार कुछ अलग होता है, उसे भी संभालना पड़ता है। सोनाली की पोस्टिंग अपने घर से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस पद और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच वो खुद को संभाल ही रही थी कि एक दिन राखी और उसकी माँ शाखा आए। राखी को आज देख, उसकी उस दिन की मुख-मुद्रा को याद करना भी मुश्किल था। कुम्हलाया-सा चेहरा और 17-18 की उस उम्र में तनाव और गंभीरता ने उसके चेहरे के भाव ही बदल दिए थे। माँ को सहारा देकर जब वो सोनाली के कमरे में आई थी तो लगा था, जैसे दुनिया भर के काम बस उसी के सिर हैं। माँ तो बस खोई-खोई सी सब तरफ को देख रही थी।

'कहिए!' सोनाली ने राखी से पूछा।

'आपसे लोन की बात करनी थी मैम।'

‘कौनसा लोन?’

राखी अंजान-सी उसकी तरफ देखने लगी। ‘जी, पैसों की जरूरत है बस।’

‘ऐसे नहीं मिलता लोन। घर के लिए, बिज़नेस के लिए, ऐसे मिलता है।’

‘अच्छा।’

बाद के सालों में बैंकिंग परिवेश में कई बार सोनाली को इस तरह के सवालों से रू-ब-रू होना पड़ा था। शुरू के सालों की झल्लाहट ने बाद में सहनशीलता का रूप ले लिया। बाद में वो सोचती थी तो समझ आता था कि सरकार के प्रयासों और वित्तीय समावेशन के नियमों के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे और कभी-कभी तो अच्छे पढ़े-लिखे लोग या हमारी शाखाओं के वरिष्ठ नागरिक, बैंकिंग को सही से समझ नहीं पाये हैं। फिर ये प्राइवेट ऋणदाता, देश का असंगठित क्षेत्र और साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने बैंकिंग को और क्लिष्ट बना दिया है। आज भी गृह ऋण लेने के लिए लोग एजेंट के पास जाना पसंद करते हैं। हमने अपनी शाखा के ही कई ऐसे लोगों से इसका कारण पूछा तो पता चला कि उनको तो ऋण की कोई और ही स्कीम पता है। कोई पेपर भरने के डर से बैंकों को संपर्क नहीं करता तो किसी को लगता है कि लोन बिना एजेंट तो होता ही नहीं। अगर आप अपने ही घर में काम करने वालों से पूछेंगे तो वो आपको लोन की नई-नई स्कीम बता देंगे। आज भी लोग मानते हैं कि मात्र आधार कार्ड पर बैंकों में लोन मिल जाता है और फिर उसे चुकाना भी नहीं पड़ता।

राखी और उनकी माँ उस दिन मायूस होकर चले गए, पर सोनाली को कई बार उनका ध्यान आता था। सोचती थी, पता नहीं वो किस परेशानी में थे। फिर एक दिन उसने उन्हें कैश काउन्टर पर देखा तो शाखा के संविदा कर्मचारी, प्रमोद से कहकर उन्हें बुलवाया।

‘आप उस दिन किसी लोन के बारे में पूछ रहे थे। माफ कीजिएगा, मैं उस दिन व्यस्त थी।’, उसने अपारंपरिक बैंकिंग का परिचय देते हुए पूछा वरना आजकल तो किसी के पास इतना समय ही नहीं होता।

‘मैम, मैं एक एथलीट हूँ। पिछले दिनों एक अकादमी में मेरा सेलेक्शन हुआ था। पैसों की कमी के कारण जॉइन कर पाना संभव नहीं था, इसीलिए आपके पास लोन के लिए आई थी।’



‘अच्छा। घर में कौन-कौन है?’

‘मैं, मम्मी और एक छोटा भाई। उसे टी.बी. है। पैसों की कमी के कारण इलाज भी सही से नहीं चल पा रहा।’

‘आपके पिता?’

‘दो साल हुए, गुजर गए। उनकी ही थोड़ी-सी पेंशन आती है, जिससे घर चलता है। पापा ही थे, जो मुझे पढ़ाई के साथ-साथ खेल के लिए प्रेरित करते थे। मैंने स्कूल की तरफ से खेलना शुरू किया तो दौड़ में हमेशा जीतने लगी और आगे खेलती गई। कुछ समय पहले हमारे स्कूल ने 400 मीटर की एक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें जिले के बाकी स्कूलों के बच्चे भी आए थे। मैं वो दौड़ जीत गई। मुझे तो बाद में पता चला कि निर्णायकों में एक बड़े सेलेक्टर शामिल थे। उन्होंने मुझे पटियाला के ‘नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’ के लिए चुन लिया। वहाँ जाने से शायद मैं आगे कुछ अच्छा कर लेती, पर उसके लिए भी पैसों की जरूरत थी, इसी उम्मीद से हम आपके पास आए थे।’

सोनाली ने सारी बात सुनकर कमर पीछे कुर्सी पर टिका ली। ‘आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है?’

‘जी नहीं।’

‘कितने पैसों की जरूरत है?’

‘पचास हजार से कम में तो काम नहीं चल पाएगा। किशत हम दे देंगे। माँ ने गली में कपड़े सिलने का कुछ काम देखा है और मैं भी ट्यूशन पढ़ा लूँगी।’

सोनाली ने बहुत दिमाग दौड़ाया, पर बैंक की कोई भी स्कीम ऐसे में लागू नहीं हो रही थी। सरकार की मुद्रा योजना के लिए दुकान और काम होना जरूरी था। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ज़मीन होनी चाहिए। स्वर्ण-ऋण के लिए सोना नहीं था। बहुत सोच-विचार के बाद वो डी.आई.आर. स्कीम तक पहुँच पाई, पर उसमें 15000 से ऊपर की मदद नहीं हो सकती थी।

‘राखी, मैं आपकी माँ के नाम से एक लोन कर सकती हूँ, चार प्रतिशत ब्याज़ पर, पर उसमें आपको मात्र 15000 की सहायता ही मिल सकती है।’

राखी और उसकी माँ के चेहरे पर मायूसी देख, सोनाली को एक बार फिर खुद को समझना पड़ा कि इस कुर्सी पर बैठकर वो भी बैंक के नियमों से बँधी है।

फिर भी चेहरे पर मुस्कराहट लिए राखी ने हाथ जोड़कर कहा, ‘मैम! आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।’

नियमों को समझकर दोनों थोड़ी देर में चले गए। अगले दिन सोनाली ने ऋण के कागज़ों को पूरा करके उसी दिन राखी की माँ के खाते में पैसे ट्रांसफर करा दिए। अगले 2-4 महीने तक सोनाली ऋण के खाते पर नज़र रखती रही और हर महीने किश्त आ भी जाती थी। फिर लगभग 6 महीने बाद दोनों एक बार फिर आए। राखी उन पैसों में अकादमी नहीं जा पाई थी और पैसे भाई के इलाज में लग गए, पर पैसों की और जरूरत थी। सोनाली अक्षम थी। पैसों का इंतज़ाम ना होने पर उसने अपने खाते से 10,000 की रकम निकालकर राखी के हाथ में रख दी। राखी की माँ की आँखें भर आईं। बोलीं- ‘बेटा! आप एक बार घर चलो, सब देख लो। कहीं ये मत सोचना कि हम झूठ बोल रहे हैं।’

‘नहीं आंटी!’ सोनाली ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था। ‘आप बेटे का इलाज कराओ। जब पैसे हों, दे दीजिएगा।’

वो दोनों उस दिन वहाँ से चले गए और फिर कई महीने उसने उन्हें शाखा में नहीं देखा। एक दिन प्रमोद ने बताया कि राखी के भाई का देहांत हो गया तो सोनाली ने सोचा, एक बार उनके घर हो आए। प्रमोद को साथ लेकर वो राखी के घर गई तो वो उसे एक टूटे, जर्जर मकान की ओर ले गया। राखी और उसकी माँ कुछ पड़ोसियों के साथ घर में मिलीं। दोनों ने एक कुर्सी साफ

करके सोनाली को वहाँ बिठाया। फिर वही बीमारी और दवाइयों की कहानियाँ। वहाँ की हालत देखकर सोनाली ने मन ही मन वो 10000/- की बात वहीं खत्म कर दी। घर को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि आगे घर चलाने के लिए भी पैसे हैं। वो थोड़ी देर बैठकर हाथ जोड़कर वहाँ से वापस आ गई। 3 साल बाद वहाँ से स्थानांतरण हो गया और वो फिर उन दोनों से नहीं मिली।

‘मैडम चाय’! राकेश ने उसकी सोच तोड़ते हुए कहा।

इतनी देर सारी बातें सोचते-सोचते वो सामने बैठी राखी का पुरानी राखी से मिलान नहीं कर पाई। जितनी देर राकेश ने चाय के कप और नमकीन-बिस्किट उनके सामने रखे, वो ध्यान से उन दोनों को देखती रही।

‘राखी, शोभापुर के बाद तो मेरे कई स्थानांतरण हुए। शायद 10-12 साल बीत गए। तुमने मुझे कैसे ढूँढा?’

‘वो प्रमोद भैया याद हैं आपको मैम? शायद वो वहाँ संविदा पर थे। वो हमारे घर के पास ही रहते थे। आपके जाने के बाद उन्होंने बैंक छोड़कर मोहल्ले में ही एक दुकान खोल ली थी। हम भी 2-3 साल बाद दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। इतने साल बाद आपका ही पता लगाने हम पहले आपकी ब्रांच और फिर अपने पुराने मोहल्ले में गए तो प्रमोद भैया से आपके बारे में पूछा। उन्होंने ही अपने परिचय से आपके ऑफिस का पता लगाया। जब पता चला कि आप मुख्य प्रबंधक के पद पर हैं तो सच बहुत खुशी हुई। पर उस समय आपसे मिलकर हमें इतना तो एहसास था कि आप किसी अच्छे पद तक जाएँगी। बैंक में नौकरी तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर इंसान को पढ़कर, उसकी समस्या को समझना बहुत कम लोगों को आता है।’

सोनाली मुस्कराकर चुप हो गई।

‘अपने बारे में बताओ राखी। जब मैं वहाँ से वापस आई, कई बार तुम लोगों का ध्यान आता था। क्या कर रही हो आजकल?’

‘भाई के जाने के बाद हम दोनों को उस दुख से निकलने में कई साल लग गए। फिर लोगों का कर्ज भी सिर पर था। माँ कपड़े सींती थी और मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी। बस एक लक्ष्य मन में था कि माँ को एक सुकून भरी ज़िंदगी दे सकूँ पर हम दोनों का समय जैसे वहाँ थम-सा गया था। कुछ समझ ही नहीं आता

था, ना कमाई का कोई स्रोत था, ना आगे बढ़ने का रास्ता। फिर दो साल बाद जब एक बार फिर अकादमी जाने का मौका मिला तो हम दोनों इतना पैसा जोड़ चुके थे कि मैं उसे जॉइन कर लूँ। शहर में अपना कुछ बचा भी नहीं था। बस वो एक किराये का घर और भाई की यादें। माँ को वहाँ किसके सहारे छोड़ती तो हम दोनों ने ही पटियाला जाने का फैसला कर लिया। अकादमी में मैं खूब मन लगाकर मेहनत करने लगी, साथ-साथ पढ़ाई भी करती रही। धीरे-धीरे अपनी मेहनत का फल मुझे मिलने लगा पहले जिला, फिर स्टेट और आखिर में तो नेशनल लेवल पर भी जीतने लगी तो पैसे भी आने लगे। दो साल में ही मुझे 'खेलो इंडिया' में छात्रवृत्ति मिलने लगी। उससे काफी सहायता मिली। पैसों से माँ ने एक बुटीक भी खोल लिया है। सब अच्छा चल रहा है। बस आपका एक एहसान जो हमारे ऊपर था, उसे उतार पाना तो सम्भव नहीं है, बस उसी की कोशिश में आपके पास आए हैं।'

इतना कहकर राखी ने बैग से चेक निकालकर सोनाली की तरफ बढ़ा दिया। साथ में एक निमंत्रण-पत्र भी था। सोनाली ने पहले निमंत्रण-पत्र उठाया। निमंत्रण-पत्र पर लिखा था,

‘भावेश स्कूल कम स्पोर्ट्स अकादमी’

उद्घाटन समारोह

मुख्य अतिथि सोनाली अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक (केनरा बैंक)

‘जब इतनी पूँजी इकट्ठा हो गई कि अपना कुछ शुरू कर सकूँ तो एक स्कूल खोलने की सोची। ऐसा स्कूल, जिसमें कम उम्र में ही हम बच्चों को खेल की ओर प्रेरित कर सकें।’, राखी ने कहा।

थोड़ा रुककर और कुछ सोचकर राखी बोली- ‘भावेश... भाई का नाम था। इस तरह उसका नाम भी अमर हो जाएगा। मैम, माफ कीजिएगा, आपसे बिना पूछे ही आपका नाम मुख्य अतिथि के रूप में रख लिया। आप समय तो निकाल पाएँगी ना मैम?’ राखी ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा।

‘नहीं नहीं, मैं जरूर आऊँगी, पर यह चेक तुम वापस रख लो। यह मैं नहीं ले पाऊँगी।’

राखी की माँ जो अब तक चुप बैठी थी, उन्होंने आगे बढ़कर सोनाली के दोनों हाथ थाम लिए।

‘बेटा! आपने हमारी उस समय मदद की थी, जब और कोई सहारा बाकी नहीं था। भावेश के इलाज की आखिरी किरण भी हम खो चुके थे। हम समझ सकते हैं, आपके लिए हमपर विश्वास करना कितना मुश्किल रहा होगा। उन पैसों की अहमियत वही समझ सकता है, जिसके लिए अपने बेटे की दवाई खरीदने के भी पैसे ना हों। आपका एहसान तो हम नहीं उतार पाएँगे और आज शायद इतने पैसे आपके लिए मायने भी नहीं रखते होंगे, पर इन्हें रख लीजिए।’

सोनाली के पास शब्द ही नहीं थे। उसने चुपचाप चेक रख लिया।

दो हफ्ते बाद स्कूल का उद्घाटन था। सोनाली अपने पति के साथ वहाँ पहुँची तो स्कूल के बाहर उसके नाम का बड़ा-सा बैनर लगा था। राखी गेट पर उसका स्वागत करने आई। अंदर जाने पर राखी के मेडल्स के साथ और बहुत से बैनर थे। सोनाली हर एक बैनर पर राखी की सफलता को देख उस दिन की राखी को याद कर रही थी, जब वो लोन के लिए उसके पास आई थी। सच, इंसान अपनी मेहनत से कितना लंबा सफर पार कर लेता है। राखी ने स्कूल का फीता सोनाली से कटवाया। सोनाली मन ही मन राखी से प्रभावित थी। मुख्य अतिथि की स्पीच पूरा होने पर उसने 10000/- का वही चेक स्कूल में मदद के रूप में भेंट कर दिया। राखी के मना करने पर धीरे से उसे समझाया कि मदद को वापस नहीं करते, बस उसे आगे बढ़ा देते हैं। माँ की बात रखते हुए उसने चेक ले लिया, अब स्कूल को उपहार-स्वरूप दे रही हूँ।

उद्घाटन से वापस आते समय वो विचारों में खोई थी।

‘कहाँ खोई हो?’, पति ने पूछा

‘मैं सोच रही थी, जब बैंक में मेरी नौकरी लगी थी तो मेरी एक सहेली बनी थी। वो कई बार बातों को बहुत गहराई से समझकर उन्हें उतने ही सरल भाव से व्यक्त कर देती थी। उसकी इंसानों को परखने की क्षमता से मैं कई बार प्रभावित होती थी। मैंने उसे कई बार लोगों के लिए आगे बढ़कर बहुत कुछ करते देखा। मैं उससे कहती थी, तुम इतना कुछ क्यों करती हो? ऐसा जरूरी तो नहीं कि तुम्हें पलटकर वैसा ही कुछ मिले। आजकल कहाँ कोई ऐसे भाव को समझ पाता है। उसने जो मुझसे उस दिन कहा था, वही याद कर रही थी।’

‘क्या?’

‘उसने कहा था, बैंक होने के नाते हम सब निवेश करना और निवेश करवाना अच्छे से सीख लेते हैं, पर यह निवेश की समझदारी, पैसों तक ही क्यों सीमित रखें। निवेश पैसों में ही क्यों, मानवीय रिश्तों में भी करके देखें।’

‘तो तुम्हारा मतलब है तुमने राखी में निवेश किया था और अब मुनाफ़ा कमा रही हो।’

‘पर मैंने मुनाफ़ा कमाने के भाव से निवेश नहीं किया था। मेरा खुद भी यह मानना है कि ज़िंदगी में हर रिश्ते या कहें, हर कमाई से पहले उद्यम करना पड़ता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि बिना उद्यम के मैं कुछ कर तो लेती हूँ, पर उसके साथ ईमानदार नहीं रह पाती और इसीलिए मेरा निवेश डूब जाता है। मैंने राखी में पैसा ही नहीं, मन और भाव भी निवेश किया। वरना सोचो, मैं उसके भाई के समय उसके घर क्यों गई।’

‘तुम्हारी बात कुछ-कुछ समझ तो आ रही है पर लग रहा है कि अब यह बात नौकरी और बैंक से ऊपर जा चुकी है हाँ। क्योंकि सच तो यही है कि शेयर मार्केट की तरह मुनाफ़ा या घाटा यहाँ नहीं, कहीं और लिखा जा रहा है। नौकरी हो या सामान्य जीवन, एक तरह से देखो तो हम किसी के लिए कुछ कर सकें, बस इतना ही हमारे हाथ में है। राखी के लिए मैं वो माध्यम बन सकी इसीलिए आज उसने मुझे इतनी इज्जत दी, पर यह मुनाफ़ा राखी की सफलता से भी बड़ा है।’

‘वो कैसे?’

‘राखी ने मेरे निवेश को खुद तक सीमित जो नहीं रखा। उसने भी तो एक नया निवेश किया। उसके स्कूल में आने वाले बच्चे उसके अनुभव से आगे बढ़ेंगे और मेरा निवेश 100 गुना- 200 गुना बढ़ता जाएगा।’

‘वाह! सोच तो बहुत अच्छी है।’

‘हाँ सोच रही हूँ आज अपनी उस सहेली को कॉल कर लूँ। आखिर उसने भी तो मुझमें निवेश ही किया था। इस मुनाफ़े पर पहला अधिकार तो उसी का है।’



जतिन कुमार

प्रबंधक, औद्योगिक संबंध अनुभाग
मानव संसाधन विभाग
प्रधान कार्यालय



कविता

दुनिया की बेटी

छोटे छोटे कदमों संग जो बड़ी-बड़ी खुशियां लाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
जो प्यारी सी आवाज़ में सुबह, नींद से रोज़ जगाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
खेल-कूद से जिसके, घर की दीवारें भी जी जाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
फकीर के घर में लेकर जनम, रईस जो उसे बनाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है...

खुशकिस्मत हैं मां बाप, के जिनको मिलता ये उपहार है,
हर किसी का होता नहीं नसीब, के जिसमें बेटी का प्यार है।
दुनिया की हर इक दौलत से, बड़ा है ये धन बेटी का,
बेटी परिवार का हिस्सा नहीं, वो खुद ही एक परिवार है...

जो हर परिवार में खुशियों के, आने की राह बनाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
जो घर की बिखरी दुनिया को, खुद हाथ से अपने सजाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
जो मां बाप की जान, घर का मान, परिवार की शान बन जाती है,
उस दुनिया की वो देवी, इस जग में बेटी कहलाती है।
छोटे छोटे कदमों संग, जो बड़ी बड़ी खुशियां लाती है,
उस दुनिया की वो देवी ही है, जो इस जग में बेटी कहलाती है...



कविता

माँ!

माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है;
बाँहों में तेरी वो लोरी की शामें याद हैं।
हंसती मुस्कुराती तू,
मेरे चेहरे में अपने अक्स को तलाशती तू,
हर पल मुस्कुराती तू,
मुझे घड़ी- घड़ी चूमकर दुनिया की बलाओं से बचाती तू,
माँ, मेरे चेहरे पर लगाया वो बड़ा सा काजल का टीका याद है।

सुनहरी धूप में तेरा मुझे जी भर कर निहारना याद है,
मालिश करते तेरे हाथों की छुअन याद है,
मेरा बुखार में तपना, वो डेढ़ साल की उम्र,
तेरे आंसुओं की तड़प याद है।
वो जल्दी में तेरा बड़ी -बड़ी कतारों में मुझे लेकर जाना,
और, बेसब्र सी तेरी उन आँखों की कसक याद है।
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।

मेरी गलतियों को छुपाना याद है,
तेरे आँचल को अपने दांतों में फँसाना।
स्कूल न जाने के बहाने बनाना,
दूध का हर- बार जल्दबाज़ी में गिर जाना।
वो बादामों को हर रात याद से भिगो देना,
माँ, मुझे तेरा थककर भी मुस्कुराते रहना याद है।
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।

शार्पनर की चोरी की तो नहीं थी मैंने,
लेकिन वो 'तपाक-सा' तेरा तमाचा याद है।
हर शाम को टॉफी दिलाना याद है,
उस बहाने-से तेरा मुझको पढ़ाना याद है।
दादी माँ की डाँट से मुझे बचाना याद है,
'अगरबत्ती' और 'इलाइची' मुझे अलग से दिलाना याद है।
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।

चाय बुरी हो और रोटी जली हो,
लेकिन तेरा वो प्रेम से खाना याद है।
अपना सुकून मुझमे पा लेने का तेरा वो समर्पण याद है,
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।



ऋचा बैजल

ग्राहक सेवा सहयोगी
सिन्ता शाखा

मेरे इंतज़ार में तेरा खाना न खाना याद है,
माँ, वो तेरे अकेलेपन का ज़माना याद है।
तेरी दुनिया में ही तो हूँ,
मेरी हर फरमाइश का पूरा हो जाना याद है।
माँ, तेरा मुझे वो बड़ा वाला टेडी - बीयर दिलाना याद है,
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।

तेरे आँचल में सुकून से रहती हूँ,
माँ, मैं हर पल खुश रहती हूँ।
सुबह 5 बजे की वो मेरी चाय याद है,
'परीक्षाओं' में आपका मुझसे पहले उठ जाना याद है।
मेरी सफलता में आपका जी जाना याद है,
मेरी शादी की चिंता में आपका घुलते जाना याद है।
'मैट्रिमोनियल' को चश्मे लगा कर पढ़ते जाना याद है,
हाँ, माँ! वो बस गोलगप्पे और चाट की आपकी ख्वाहिश याद है।
'क्या है माँ, आपका फेवरट?', उसमें भी मेरी ही पसंद आपको याद है।

न कपड़ों की ललक, न ख्वाहिश और कोई है,
बस मेरी मुस्कुराहटों में माँ ने अपनी ज़िन्दगी संजोयी है।
जो मुझे सताए, उससे लड़ जाती हैं,
मेरी माँ तब 'लक्ष्मी बाई' बन जाती हैं।
जो मुझे प्यारा, वो उनका भी अपना हैं,
माँ, फिर 'अन्नपूर्णा' हो जाती हैं।
मेरी फ़िक्र में आपका रात में उठकर मुझे देखने आना याद है,
माँ, तेरा पूजा में भी मेरे हर सवाल का जवाब देना याद है।
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।

नहीं समझ सकती हूँ फिर भी तुमको,
आपकी परवरिश का हर संभव -सा सिलसिला याद है।
माँ, तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।
माँ! तेरे आँचल का वो पहला एहसास याद है।



आलेख

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं का योगदान



अविनाश कुमार

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, हुबबल्ली

आज विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के जीवन-स्तर में आमूलचूल बदलाव आया है। आज की महिलाएं केवल घरेलू कामकाजी नहीं रह गई हैं। वे हर क्षेत्र में अपना सराहनीय और अतुलनीय योगदान दे रही हैं। विश्व के लगभग सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में उनका योगदान पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। भारत के विकास में भी उनकी भूमिका चौतरफा रही है। भारतीय बैंकिंग जगत में भी महिलाएं बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं और अपना कौशल दिखा रही हैं। इन सब से यह साबित हो रहा है कि आज की महिलाएं पहले की तरह केवल घरेलू कामकाजों एवं अपने परिवार की देख-रेख करनेवाली महिला नहीं रह गई हैं, बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके बराबर चल रही हैं।

भारत की अर्थ व्यवस्था के विकास में महिलाएं न केवल बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में बेहतर कार्य निष्पादन कर योगदान दे रही हैं बल्कि आज महिलाएं खेती, डेयरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में काम कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार भी कई पहल कर रही है।

भारतीय बैंकिंग जगत भी उनके योगदानों से भरा पड़ा है। आज बैंकिंग क्षेत्र और महिलाएं एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। हालांकि अभी भी सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रमुखता से भागीदारी सुनिश्चित करने में बहुत कुछ करना बाकी है।

सभी बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैंकों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए

और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके कारण महिलाओं को भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करने में मदद मिली है।

आज हम सभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का अभिप्राय है - उन्हें कुछ शक्ति और अधिकार प्रदान करना। दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाओं को आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आजादी प्रदान करना ताकि अपने पैरों पर स्वच्छंद रूप से खड़े होने के लिए उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो।

भारत में बैंकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण बेरोजगार युवाओं के लिए बैंकों में रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा रोजगार प्रदाता है जिसमें बिना किसी पक्षपात एवं भेदभाव के सुगमता से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार पाई जा सकती है। महिलाओं को उनकी रुचि एवं स्वभाव के कारण उन्हें बैंकिंग की नौकरी अधिक आकर्षक लगती है। बैंक भी महिलाओं को खुले मन से उन्हें नौकरी प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बैंकिंग का कार्य महिलाएं आसानी से एवं सुगमतापूर्वक कर पाती हैं। बैंक ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके और वे नई जिम्मेदारी लेकर अपने परिवार, समाज एवं यहां तक की राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। वाकई यदि देखा जाए तो महिलाओं का उत्थान ही मानव का उत्थान है। कहा भी गया है - “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः” अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। यह श्लोक भारतीय संस्कृति के दर्शन

को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में नारियों का स्थान हमेशा से ही ऊपर रहा है और उन्हें वंदनीय माना गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने भी महिलाओं के उत्थान के बारे में कहा था - महिलाओं को सशक्त बनाना एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक शर्त है, जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होगा। महिलाओं का सशक्तीकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनके मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाते हैं।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य करने के माहौल ने महिलाओं को बैंकों में कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कुछ विधिक उपाय भी किए गए ताकि महिलाओं को भी बैंकों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा लैंगिक असमानता को पाटा जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात महिलाओं को भर्ती करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। महिलाओं को बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं को कानूनी तौर पर हटाया गया है। महिलाओं को बैंकिंग क्षेत्र में समान वेतन और रोजगार की शर्तें मिली हैं। महिलाओं को बैंकिंग क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को पदोन्नति आदि के समान अवसर भी प्रदान किए गए हैं। कई बैंकों में महिलाओं के लिए अलग से कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई हैं।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकों द्वारा की गई पहल:

भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों ने कई योजनाएं बनाई हैं। केनरा बैंक भी अपनी स्थापना के बाद से ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाता रहा है और महिलाओं का सशक्तीकरण, बैंक का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। केनरा बैंक ने वर्ष 1988 में महिला उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की। महिला उद्यमिता विकास केंद्र(सीईडी), उद्यमी बनने की इच्छुक महिलाओं की सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस केंद्र का लक्ष्य संभावित महिला उद्यमियों को आय अर्जित करने वाली गतिविधियों का चयन करने और स्वयं के उद्यम शुरू करने में सहायता करती है। यह केंद्र संभावित महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है और बाद में बैंक से उन्हें ऋण प्रदान कर उन्हें

स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार लगभग सभी बैंकों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ निम्नवत हैं-

- महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उनकी जमा राशियों पर अधिक ब्याज प्रदान करना। उन्हें कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि।
- महिला जागरूकता शिविरों का आयोजन कर बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना और उनमें बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण पर जोर देना।
- महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण - यह एक ऐसी योजना है जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम वाली महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराई जाती है ताकि महिलाएं औपचारिक तौर पर वित्तीय समावेशन की हिस्सा बन सकें।

बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। बैंकों ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए अभियान चलाए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकों ने महिला उन्मुख योजनाएं शुरू की हैं जो निम्नवत हैं :

- बदलते बैंकिंग परिदृश्य में बैंकों के उच्च प्रबंधन को लगने लगा है कि तकनीकी के आगमन से कुशल ग्राहक सेवा आसानी से प्रदान की जा सकती है। ग्राहकों को उत्तम सेवा उपलब्ध कराने में महिलाओं की भूमिका ज्यादा अहम होती है क्योंकि वे अमूमन मृदुभाषी होती हैं और ग्राहकों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा पाती हैं। महिलाओं में बेहतर संप्रेषण, नेटवर्किंग, सॉफ्टस्किल होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।
- भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को देखते हुए आज की आधुनिक महिलाएं एक और जहां अपने पेशेवर कार्यों का भलिभांति निर्वहन कर रही हैं, वही दूसरी ओर अपने-अपने घरों में धर्मपत्नी, माता आदि की भूमिका का भी बखूबी निभा रही हैं। महिलाओं की सभी की देखभाल एवं कहीं पर भी

और किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेने की प्रवृत्ति के कारण बैंकिंग क्षेत्र में भी अपने आपको अनुकूल पाती हैं।

- बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा कारोबारी क्षेत्र है जिसमें महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि ग्राहक क्या चाहता है। महिलाओं में ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों के प्रति कुछ हद तक सहानुभूति होती है।
- अधिकांश महिलाओं का मानना है और वे सहमत भी हैं कि उनके परिवार वाले भी उनके कार्यों की सराहना एवं समर्थन करते हैं। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि कामकाजी महिलाओं को घर का समर्थन नहीं मिलता है, परंतु महिलाओं का मानना है कि घर-परिवार के सपोर्ट के बिना उनका पेशेवर जीवन सफल नहीं हो पाता।
- आजकल बैंक प्रबंधन भी महिलाओं के कार्यों की सराहना कर रहा है और उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहा है। जहां पहले महिलाएं अपने कार्यों में जोखिम उठाने से डरती थीं, वहीं आज वे पुरुषों की भांति अपने कार्यों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही हैं और वे बैंक हित में कार्य कर रही हैं। पुरुषों और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता कारोबार की स्थिति पर निर्भर करता है। परंतु यह देखा गया है कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर है।
- आज का युग कार्य की प्रक्रिया की तुलना में कार्य के परिणाम पर अधिक फोकस कर रहा है। यह पाया गया है कि महिलाओं की अधिक संख्या वाली कंपनियां, इनकी कम संख्या वाली कंपनियों की तुलना में बेहतर परिणाम दे रही हैं। व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, मृदुल स्वभाव समझ, कार्य के प्रति समर्पण भावना आदि महिलाओं के जन्मजात गुण होते हैं जिससे वे मजबूत कारोबारी संबंध स्थापित करने में समर्थ होती हैं।
- महिलाएं, पुरुषों की तुलना में शीघ्रता से एवं अधिक प्रभावी तरीकों से किसी परेशानी का हल निकालने में सक्षम होती हैं। यहां तक कि हम घरों में भी देखते हैं कि कई बार पुरुष

जब किसी समस्या से घिर जाते हैं तो इनका हल महिलाएं चुटकियों में निकाल देती हैं।

- महिलाओं में सभी को एक साथ लेकर चलने, समन्वित रूप से अर्थात् टीम भावना के साथ कार्य करने, समस्याओं के शीघ्र समाधान करने एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है।

बैंकिंग जगत में सबसे सफल महिलाएं :

भारत में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता एवं रणनीतियों से वित्तीय जगत को अत्यधिक प्रभावित किया है। उन्होंने अपने मेहनत और लगन से भारत के वित्तीय उद्योग का कायापलट कर दिया है और इसे अद्वितीय बनाया है। इन महिलाओं ने वित्तीय उद्योग में सफलता प्राप्त की है और जिन बैंकों के लिए उन्होंने काम किया है उसे बुलंदी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान ने भारत को वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की है। ये महिलाएं देश में शीर्ष बैंकर के रूप में रही हैं और उन्होंने विदेशी वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व भी किया है।

भारत के वित्तीय जगत में शक्तिशाली महिलाएं निम्नवत हैं:

शांति एंकंबरम

श्रीमती शांति एंकंबरम अभी कोटक महिंद्रा बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर सुशोभित हैं। शांति एंकंबरम भारत के वित्तीय उद्योग में एक प्रतिबद्ध महिला हैं। कई चुनौतियों के बावजूद, वे मजबूत बनी रहीं और वित्त और अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपनी लगन से महिलाओं को प्रेरित किया है।

उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में कई वर्षों तक काम किया और कई सफल व्यवसायों का प्रबंधन किया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की।

बिजनेस टुडे ने कई वर्षों तक उन्हें भारतीय व्यापार में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में लगातार सूचीबद्ध किया है। फॉर्च्यून इंडिया की भारत की शीर्ष 50 शक्तिशाली महिलाओं में मान्यता प्रदान की है और 2013 की सीए महिला बिजनेस लीडर के रूप में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती शांति एंकंबरम अभी बैंकिंग पर फिक्की की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं।

नैना लाल किदवई

श्रीमती नैना लाल किदवई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। किदवई हार्वर्ड स्कूल से स्नातक करने वाली और एचएसबीसी बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनीं और विदेशी बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। अपनी पेशेवर यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया है। उन्होंने 8 साल तक मॉर्गन स्टेनली में काम किया और भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा।

रेणु सूद कर्नाड

श्रीमती रेणु सूद कर्नाड एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी हैं और भारत की सबसे बड़ी बंधक वित्तपोषक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प की निदेशक हैं। साथ ही वे विभिन्न कंपनियों में सात बड़े-बड़े पदों पर सुशोभित हैं। वे इंद्रप्रस्थ कैंसर सोसाइटी एवं अनुसंधान केंद्र के वाइस चेयरमैन -गवर्निंग कौंसिल हैं और 17 अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल हैं।

रेणु सूद एचडीएफसी के वित्तीय संचालन के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, उन्होंने 30 वर्षों तक इसे सफलता की ओर अग्रसर किया है। फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका ने उन्हें लगातार 8 वर्षों तक भारत में व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सूचीबद्ध किया है। रेणु कर्नाड ने एचडीएफसी बैंक को अपनी मूल कंपनी एचडीएफसी के साथ विलय करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।

कल्पना मोरपारिया

कल्पना मोरपारिया एक भारतीय बैंकर हैं। उन्होंने लगभग 33 वर्षों तक आईसीआईसीआई बैंक में कार्य किया है और उन्होंने वित्तीय उद्योग में कई उल्लेखनीय योगदान दिए।

उन्होंने जेपी मॉर्गन, इंडिया में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया है। जेपी मॉर्गन में काम करते हुए, कल्पना ने अपने करियर में तरक्की की और कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने और अपना जीवन को समर्पित करने के बाद आज वे जेपी मॉर्गन इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वे डॉ. रेड्डीज लैब्स, बेनेट एंड कोलमैन, सीएमसी लिमिटेड से लेकर

टाटा कंसल्टेंसी तक की निदेशक भी हैं। उन्हें फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पचास सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में स्थान दिया जा चुका है। उनका करियर उन भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो सफलता और पहचान हासिल करना चाहती हैं।

अरुंधति भट्टाचार्य

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स, इंडिया की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अरुंधति भट्टाचार्य ने अपने करियर की शुरुआत में ही वित्तीय जगत को बदल दिया और बैंकिंग क्षेत्र में एक बेहद प्रभावशाली महिला बनकर उभरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई नवाचार पेश किए, खासकर डिजिटलीकरण में। उनके स्पष्ट लक्ष्य और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बना दिया। वर्ष 2016 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 25 शीर्ष महिलाओं की सूची में शामिल किया है। वर्ष 2025 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

रंजना कुमार

श्रीमती रंजना कुमार एक भारतीय बैंकर हैं, जिन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्ष 1966 में बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने इस बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य किया। तत्पश्चात केनरा बैंक में पहली महिला कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने जब इंडियन बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो वे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं।

इस प्रकार, आज हमारे समाज में महिलाएं कई भूमिकाएं एक साथ निभा रही हैं। इन भूमिकाओं में घरों की जरूरतों, कारोबार संबंधी कार्य की स्पष्ट समझ और जीवन में संतुलित दृष्टिकोण ने आज की महिलाओं को अपने कार्यों को संतुलित करते हुए सभी के साथ न्याय करने में सक्षम बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ है।



आलेख

सावित्रीबाई फुले: महिला शिक्षा की प्रथम अन्वेषक



प्रदीप राज एस.

वरिष्ठ प्रबंधक
सामरिक एवं डेटा विश्लेषिकी
विभाग, प्रधान कार्यालय

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा।

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। वह माली समुदाय की दलित महिला थीं और उनकी मां लक्ष्मी और पिता खंडोजी नेवेशे पाटिल थे। 10 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी और सावित्रीबाई को पुणे में एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती कराया। बाद में उन्हें अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फर्रार की अध्यक्षता वाली अहमदनगर संस्था में भर्ती कराया गया। अपनी शिक्षा के कारण, सावित्रीबाई पहली महिला भारतीय शिक्षिका और समाज सुधारक थीं, जो भारत में महिला सशक्तिकरण में क्रांति लाने वाली एक असाधारण प्रतिभा थीं।



अन्यायी से सवाल करें, उत्पीड़कों को चुनौती दें और निडरता से अपने अधिकारों के लिए लड़ें। - सावित्रीबाई फुले

सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के विचार, दृष्टि और दलित समुदाय के सामाजिक उत्थान के संघर्ष से अत्यधिक प्रभावित थीं, ज्योतिराव फुले न केवल एक महान शिक्षक, विचारक, लेखक और समाज सुधारक थे, बल्कि वे पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर लैंगिक समानता की वकालत की और इस बात पर बहुत जोर दिया कि शिक्षा दलित समुदाय की महिलाओं के लिए समाज में प्रगति के लिए एक संसाधन है।

सावित्रीबाई फुले की महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण में भूमिका।

सावित्रीबाई फुले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी समर्पित भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्रता से पहले 1800 में शिक्षा प्रणाली पर विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाति का वर्चस्व था, जिसमें अधिकांश पुरुष आबादी विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित हो रहे थे। उन्होंने शिक्षा को दलित समुदायों की महिलाओं के लिए मुक्ति के साधन के रूप में देखा। उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो धर्म, जाति, नस्ल, पंथ और रंग के बावजूद सभी बच्चों को मूल अधिकार प्रदान करना था।

यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं।

यह प्रसिद्ध अफ्रीकी कहावत है।

1800-1900 के दशक में लड़कियां कई कारणों से अपनी बुनियादी शिक्षा से वंचित थीं, वे हमेशा घरेलू ज़िम्मेदारियों से जुड़ी रहती थीं, उन्हें घरेलू भूमिकाएं स्वीकार करने के लिए पाला जाता था, उनकी माताओं में साक्षरता और अपने बच्चों को शिक्षित करने

की क्षमता का अभाव था, वे आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती थीं और कभी-कभी बाल विवाह का सामना करती थीं, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं था, उनके लिए कोई न्यायिक तंत्र या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं था।

कई आत्मकथाओं में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब सावित्रीबाई फुले अपने घर से स्कूल जाती थीं तो कई विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के लोगों ने दलितों को शिक्षित करने का विरोध किया था। सावित्रीबाई फुले को विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के लोगों द्वारा बहुत आलोचना और अपमान सहना पड़ा। लेकिन वह अपने लक्ष्य पर अड़ी रहीं और उन्होंने और उनके पति ने अलग-अलग दिहाड़ी मजदूरों और किसानों के लिए एक शाम का स्कूल शुरू किया।

अनेक कठिन समस्याओं और अनेक समुदायों द्वारा उनके प्रयासों का बहिष्कार और आलोचना किए जाने के बावजूद उन्होंने दलित समाज के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जारी रखा। सावित्रीबाई फुले के कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:

- पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों और युवा विधवाओं को पढ़ाना शुरू किया।
- अपने पति ज्योतिराव फुले की मदद से उन्होंने भिड़े वाडा में अपना स्कूल शुरू किया।
- भिड़े वाडा स्कूल में केवल कला और साहित्य ही नहीं, गणित, भौतिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता था।
- जल्द ही इस दम्पति ने पढ़ाना शुरू कर दिया और वे पुणे में तीन स्कूलों के प्रभारी बन गए जिनमें बड़ी संख्या में छात्र नामांकित थे।
- सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 1850 के दशक में दो शैक्षणिक ट्रस्टों की स्थापना की। पुणे में नेटिव मेल स्कूल और महार, मांग और अन्य समूहों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सोसायटी उनके नाम थे। सावित्रीबाई फुले और बाद में फातिमा शेख के निर्देशन में इन दो ट्रस्टों में अंततः बड़ी संख्या में स्कूल शामिल हो गए।

- दम्पति ने सामाजिक अपराधों से प्रभावित महिलाओं के लिए 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' नामक पुनर्वास केंद्र भी शुरू किया।

समाज सुधारक के रूप में सावित्रीबाई फुले की प्रमुख भूमिका।

सभी पहलुओं के खुलासे से पता चलता है कि सावित्रीबाई फुले एक नारीवादी और सशक्त समाज सुधारक थीं जिन्होंने भारत में महिला शिक्षा का आधार स्थापित किया जब 1800-1900 की सदी में रूढ़िवादी जाति विभाजन और अंधविश्वास व्याप्त था। उन्होंने बाल विवाह, भ्रूण हत्या, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता आदि के खिलाफ भी अपनी मज़बूत आवाज़ उठाई।

उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विधवाओं के अपमान के खिलाफ तथा विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जोरदार अभियान चलाने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने शिशुहत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई और नाजायज़ बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र (बाल हत्या प्रतिबंधक गृह) खोला।

विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा के विरोध में उन्होंने मुंबई और पुणे के नाइयों के साथ हड़ताल भी की। उन्होंने अपने घर में भी सुधार लाने में कभी संकोच नहीं किया।

1897 में सावित्रीबाई फुले ने अपने दत्तक पुत्र, यशवन्त राव को पुणे में एक क्लिनिक शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस पहल से प्लेग महामारी से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने में मदद मिली।

इस महामारी की स्थिति में हर कोई मानवता को बचाने और खतरनाक बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करने से दूर रहा, सावित्रीबाई फुले ने संकट की स्थिति से लड़ने में संकोच नहीं किया और गरीब मरीज़ों की मदद करती रहीं और उन्होंने अपने आपको इस प्रकार से जनसेवा में समर्पित कर दिया कि महामारी से लड़ते हुए उनकी जान चली गई।

इससे पता चलता है कि सावित्रीबाई फुले में समाज के लिए कितना समर्पण, त्याग और नेतृत्व की क्षमता थी। आज की दुनिया में लोगों की सेवा करने और उन्हें पुनर्वास, उनके सामाजिक जीवन

को बेहतर बनाने और उन्हें बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए कई आधुनिक साधन मौजूद हैं। लेकिन कोई कल्पना कर सकता था कि घातक बीमारियों से लड़ने के लिए सीमित संसाधन होते हुए भी सावित्रीबाई फुले ने इस मिशन में अपना जीवन समर्पित कर दिया।

1800 से 1900 के दशक में जब समाज खुद ही सभी तरह के भेदभाव से भरा हुआ था तब समाज के दबे-कुचले तबके की सेवा के लिए इतनी लगन और समर्पण के साथ आगे आना, अपने जीवन का बलिदान देना, अपने जीवन से भी बड़ी चुनौती थी।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों को भारत सरकार द्वारा मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए।

सावित्रीबाई फुले का साहित्य में योगदान।

सावित्रीबाई फुले के लोकप्रिय उद्धरण उनकी क्रांतिकारी सोच और प्रभावशाली लेखन को दर्शाते हैं।

भेदभाव और अन्याय दो घातक हथियार हैं जो समाज को नष्ट कर सकते हैं। जब मानव पर बहुत अधिक अत्याचार होता है तो उच्च आदर्शों के साथ समाज को मुक्त करने और सशक्त बनाने के लिए सावित्रीबाई फुले जैसे क्रांतिकारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उनके कुछ उद्धरण समाज को मुक्ति के लिए दिए गए आजीवन उपदेशों की तरह हैं।

- शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।
- जिस स्त्री का अपमान होता है, उसका पति उसके योग्य नहीं होता।
- किताब के साथ समस्या यह है कि इसे पढ़ने में बहुत समय लगता है।
- यदि आप सोचना सीखना चाहते हैं, तो किताबें पढ़ें। यदि आप अभिनय करना सीखना चाहते हैं, तो अभिनय देखें।
- शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप पूरे समुदाय को बदलने के लिए कर सकते हैं।

- मेरा मानना है कि शिक्षा हर महिला की मुक्ति की कुंजी है।
- जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही कम आपके डरने की सम्भावना होगी।
- आपकी शिक्षा आपके बेहतर भविष्य का पासपोर्ट है।
- किसी और को शिक्षित करने से पहले आपको स्वयं को शिक्षित करना चाहिए।
- अन्यायी से सवाल करो, उत्पीड़कों को चुनौती दो और निडर होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ो।
- सहानुभूति सामाजिक न्याय की नींव है।
- प्रगति का सच्चा मापदंड दलित और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान में निहित है।
- महिलाओं को शिक्षित करके हम पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं
- शिक्षा के बिना महिला जड़ों और पत्तियों के बिना बरगद के पेड़ की तरह है।

उपरोक्त सभी उद्धरण गुलामी और असमानता के उन्मूलन के लिए शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रेरणादायक शब्द दर्शाते हैं। समाज हमेशा मजबूत लोगों, विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय, राजशाही और अन्य कई भेदभावों से घिरा हुआ है जहां एक व्यक्ति को दुनिया में यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन नियति ने उसे शिक्षा के बिना अंधेरे में क्यों छोड़ दिया, समाज में समान सम्मान, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अन्य लोगों की तरह जीवन जीने की स्वतंत्रता, क्यों नहीं मिलती ?

सावित्रीबाई फुले जैसी महिला लगभग देवी का अवतार हैं जिसे हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं जो समाज पर हावी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय से दबे वर्गों की रक्षा करती हैं और समाज को क्रूर असुरों से मुक्त करती हैं।

सावित्रीबाई फुले एक दूरदर्शी कवयित्री थीं। उन्होंने काव्य फुले (1854) और बावन काशी सुबोध रत्नाकर (1892) लिखीं जो

1850 से 1900 के बीच प्रसिद्ध रहीं। उन्होंने 'जाओ, शिक्षा प्राप्त करो' नामक एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी। इस कविता के माध्यम से वह महिलाओं और दलित समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने की कोशिश करती हैं जिन्होंने उनके कामों का विरोध किया और समाज में उन लोगों के बीच ज्ञान पैदा करने में योगदान दिया जो मानते थे कि वे अपने समुदाय में पारंपरिक बाधाओं को तोड़ नहीं सकते और प्रगतिशील जीवन जी सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले ने कई अन्य समाज सुधारक कार्यकर्ताओं को, असहाय महिलाओं को आवाज़ देकर समाज में सुधार करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने दलित समुदाय की महिलाओं को ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने सामाजिक अन्याय से पीड़ित महिलाओं की मदद की, उन्होंने फातिमा शेख जैसी कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया जिन्होंने मुस्लिम समुदाय से संबंधित असहाय महिला समुदाय का समान रूप से समर्थन किया।

9 अगस्त 2014 को, पुणे विश्वविद्यालय ने महिलाओं और दलित समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान के सम्मान में अपना नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर लिया।

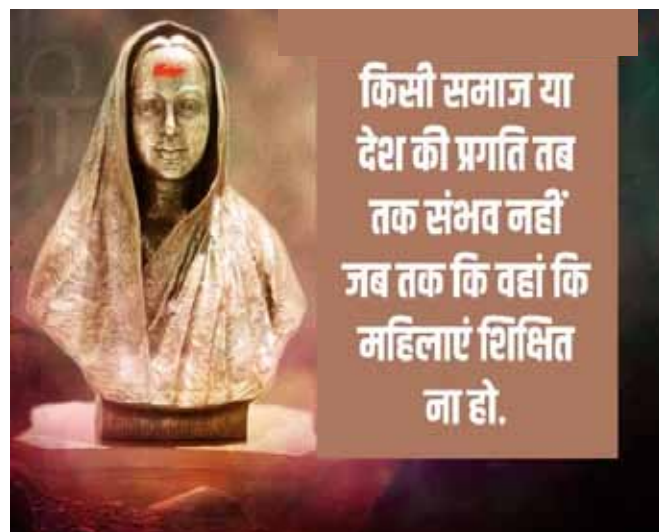
हम आमतौर पर पौराणिक कथाओं, नाटककारों की कहानियों और अन्य काल्पनिक पात्रों में महान पात्रों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन सावित्रीबाई फुले का समाज में योगदान एक दिव्य देवी अवतार से कम नहीं है जो पृथ्वी पर मौजूद थीं और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए बलिदान के साथ हमारी मातृभूमि के लिए निःस्वार्थ सेवा की।

भारत के इतिहास में सावित्रीबाई फुले के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, उन्होंने दलित समुदाय की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाए।

हम एक बार फिर इस मुद्दे का समर्थन करते हैं कि सावित्रीबाई फुले को भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही मरणोपरान्त भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लाखों महिलाओं को स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

संदर्भ।

- ठाकुर, डी.एन. (2012)। भारत में नारीवाद और महिला आंदोलन। रिसर्च जे. ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। 3(4): अक्टूबर-दिसंबर, 2012, 458-464।
- ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (आईजेएमआर) - पीयर रिव्यूड जर्नल वॉल्यूम: 7। अंक: 6। जून 2021।। जर्नल ऊजख: 10.36713/शरि2013
- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च स्टडीज आईएसएसएन: 2347-7660. डॉ. सावित्री तदागी
- सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण की मिसाल: द हिन्दू- प्रकाशित - 03 जनवरी, 2025 11:06 पूर्वाह्न खड्ड - नई दिल्ली
- भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर उनके जीवन पर एक नज़र-द इंडियन एक्सप्रेस।
- पांडे, आर. (2019)। वैश्विक नारीवादी विचार के प्रक्षेप पथ में सावित्रीबाई फुले के नारीवाद को खोजना। भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा। खंड 46(1), पृष्ठ 86-105।





आलेख

भारतीय न्याय प्रणाली में महिलाओं की स्थिति



रवि कुमार सिन्हा

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय हैदराबाद

21 वीं शताब्दी का चतुर्थांश समाप्ति की ओर है। सर्वोच्च न्यायालय अपना 75वां सालगिरह मना रहा है लेकिन आज भी भारतीय न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाएं अपने बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, खासकर न्यायपालिक के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या आज़ादी के पहले से ही काफी कम है। भारत की पहली महिला जज त्रावणकोर निवासी अन्ना चांडी थीं आज़ादी से पहले 1937 में उनकी नियुक्ति हुई थी।

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद, निर्णय लेने वाले पदों पर उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। वास्तव में, अपेक्षाकृत कम संख्या में महिलाएं न्यायपालिका में हैं या उनका हिस्सा पुरुषों के मुकाबले काफी कम है।

भारत में संविधान बनने के साथ ही उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई थी। तब से ही सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन की जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन क्या यहां आधी आबादी को पूरी भागीदारी मिल रही है। इसका जवाब आंकड़ों में छुपा है। साल 1989 में पहली बार एक महिला न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त हुई। 1989 के बाद से केवल 10 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के 31 न्यायाधीशों में से केवल तीन महिला न्यायाधीश हैं - जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस बीवी नागरत्ना।

हालांकि, 2021 में शीर्ष अदालत में जस्टिस कोहली, नागरत्न और त्रिवेदी की नियुक्ति ने इतिहास रच दिया। यह पहली बार था कि एक ही बार में इतनी सारी महिलाओं को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ चार महिला न्यायाधीश थीं जो अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। इन

तीन महिलाओं के अलावा भारत की शीर्ष अदालत के इतिहास में केवल आठ अन्य महिला न्यायाधीश रही हैं। उनमें जस्टिस सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर. भानुमति, इंदु मल्होत्रा, और इंदिरा बनर्जी और फातिमा बीवी शामिल हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कुल 268 न्यायाधीशों में से केवल 11 महिलाएं रही हैं। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों में से केवल 4.1% महिलाएं हैं, जबकि शेष 96% पुरुष हैं।

हालांकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं जिनमें दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 आदि प्रमुख हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि महिला से संबंधित कानून की रक्षा करने के लिए भी पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार की ज़रूरत है। जिससे कि पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय मिल सके।

अगर हम पूर्व महिला न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है पथानमथिट्टा (केरल) में 30 अप्रैल 1927 को जन्मी न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) एम. फातिमा बीवी का। इनकी प्राथमिक शिक्षा कैथोलिक हाई स्कूल, पथानामथिट्टा से हुई। बी.एससी. (यूनिवर्सिटी कॉलेज, त्रिवेन्द्रम), बी.एल. (लॉ कॉलेज, त्रिवेन्द्रम) से की। मैडम फातिमा बीबी 14.11.1950 को वकील के रूप में नामांकित हुई। 1968 में अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत की गई। 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर 1974 में

ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुई। जनवरी, 1980 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की न्यायिक सदस्य बनीं। 4 अगस्त 1983 को न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में पदोन्नत हुई। 14 मार्च 1984 को उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश बनी, 29 अप्रैल 1989 को न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुई। वे 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुईं। न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायमूर्ति बनी थीं तो महिलाओं में एक आशा की किरण जगी तथा वे प्रेरित हुईं।

पिछले 75 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं तथा आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी हैं।

उच्च न्यायालय की स्थिति कुछ बेहतर है। भारत के उच्च न्यायालयों में 680 न्यायाधीशों में से 83 महिलाएँ हैं। अधीनस्थ न्यायाधीशों में आज 30% महिलाएँ हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। महिला न्यायाधीशों के अनुभव और दृष्टिकोण से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा। न्याय समाजोन्मुख होगी तथा लिंग आधार पर भेदभाव की संभावना कम होगी।

न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से भ्रष्टाचार से निपटने और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयासों को मज़बूती मिल सकती है। हालाँकि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बेहतर मूल ढाँचा, लिंग आधारित संवेदनशील भर्ती नीतियाँ, और उचित प्रशिक्षण की ज़रूरत है।

कम महिला प्रतिनिधित्व के कारण:

न्यायपालिका ही नहीं प्रशासन के क्षेत्रों में भी महिलाओं की कमी का मुख्य व प्राथमिक कारण समाज का पितृसत्तात्मक होना है। पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा महिलाओं को कमतर आंका जाता है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्हें सुरक्षा का भय रहता है। अतः, उनके माता-पिता हमेशा आशंकित रहते हैं तथा उच्च शिक्षा से अपने बेटियों को दूर रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को अक्सर अपने कार्यस्थल पर अपमानजनक

माहौल का सामना करना पड़ता है। न्यायलय में साथियों से उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जो आए दिन कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं।



कहना न होगा कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएँ निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं। हालाँकि, उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली है, जो अधिक अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका में महिला आरक्षण नहीं होना, इनको न्यायपालिका का अंग बनने से रोकता है। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिये आरक्षण नीति है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है जिससे कि अब उनके पास 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं।

उम्र और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारण भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं। मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाओं का नहीं होना भी महिला न्यायाधीशों के कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है। चूँकि वकिल से बेंच तक पदोन्नत वकील उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं, इसलिये यह ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है जिससे महिला न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है।

विभिन्न स्थानीय सिविल कोर्ट में अभी भी बुनियादी ढाँचा की कमी है। वकालत करने वाली महिलाओं के लिये यह एक बड़ी बाधा है। छोटे, भीड़ भरे कोर्ट रूम, टॉयलेट की कमी और चाइल्डकेयर सुविधाओं का आभाव जैसी बाधाओं के कारण महिला वकालत पेशे को वरियता नहीं देती हैं।

न्यायपालिका में उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्व:

न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफी सुधार होगा। महिलाएँ कानून के समक्ष अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं जो उनके अनुभव पर आधारित होता है। उनके पास पुरुषों और महिलाओं पर कुछ कानूनों के अलग-अलग प्रभावों की अधिक बारीक समझ होती है जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकती हैं। महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती हैं जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिये खुले और सुलभ हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है खासकर महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है।

दूसरी ओर, अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें तो यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिये न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वे इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ पाएंगी तथा बेहतर निर्णय ले पाएंगी।

आगे की राह :

उच्च न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह भारत की लिंग-तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास का भी नेतृत्व करेगी। समावेशिता पर बल देकर और संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह कानूनी पेशा, समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिये। न्यायालय एक नए परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद पर विचार कर सकती है और इसके लंबे समय से चली आ रही जनसांख्यिकी में बदलाव होने पर आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि हो सकती है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जब आज की महिलाएं चांद पर जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, भारत की राष्ट्रपति के पद को सुभोषित कर रही हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में परचम लहरा रही हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में नाम कर रही हैं तो न्यायपालिका के क्षेत्र में भी अपना बेहतर निष्पादन कर सकती हैं तथा आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर न्यायपालिका को मज़बूत कर सकती हैं।



विशाखा तिवारी

अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद



कविता

पापा, एक
बार फिर हाथ
पकड़ लो ना!

आकाश में उड़ने का साहस कौन देगा मुझे?
पंख फैलाने का अवसर कौन देगा मुझे?
आज़ादी की खुशबू सांसों में भरने की इजाज़त कौन देगा मुझे?
और हां, इन सवालों का जवाब कौन देगा मुझे?

जब ये सोचकर चारों ओर नज़र दौड़ाती हूँ,
पापा, एक आप ही नज़र आते हो मुझे।
अलविदा कहकर आपके घर से विदा हुई थी,
संसार अपना बसाने आपकी चौखट छोड़ चली थी।

दिल में उम्मीदें थीं, आँखों में सपने थे,
बाबुल, तेरे आंगन की सीखें स्मरण थीं मुझे।
ऐसा लगता था, सब कुछ संवार लूँगी मैं,
अपने सपनों को और अपनों को
खुशियों से भर दूँगी मैं।

पर जब यह करने चली मैं,
समाज की बंदिशें पाँव की बेड़ियाँ बन बैठीं,
उड़ते देख मुझे, मेरे पंख कुतरने लगीं।
मन था मेरा, नीले गगन में नाम लिख दूँ तुम्हारा,
बेटी होकर बेटा बन जाऊँ तुम्हारा।

पर दुनिया की उलझनों में उलझ गई हूँ,
बंद पिंजरे में तड़पती चिड़िया की तरह
बस छटपटाकर रह गई हूँ।
अश्रुओं से डबडबाई आँखों से
फिर एक बार तुम्हें खोज रही हूँ,
फिर से उस प्रेरणा को पाना चाहती हूँ।

एक बार फिर हाथ पकड़ लो ना, पापा!
शायद इन बंधनों को तोड़ पाऊँ मैं,
एक बार फिर बस आपकी बिटिया बन
खुले आसमान में उड़ जाऊँ मैं।



कविता

महिला सशक्तिकरण और केनरा एंजेल



श्वेता शर्मा

अधिकारी

जमशेदपुर, बिस्तुपुर शाखा

प्रति एक महिला उद्यमी नहीं होती,
हर एक को रोजगार नहीं मिलती,
कुछ को मौका न मिलता,
कुछ का जीवन समझौता न होता!

इन बहुत से ना में हाँ भी होती,
दिखाई न देती, बस महसूस सी होती,
कुछ चुप्पी सी कुछ सहमी सी,
कुछ ख्वाहिशें मासूम-सी गहरायी-सी होती।
सबका अपना बचत है होता,
सबके अपने कुछ शौक भी होते,
कुछ ज़्यादा की चाहत हर किसी में होती,
अनकहे सपने दिखाई से देते।

इन्ही अनकही शब्दों के लिए,
केनरा बैंक ने महिलाओं को एक सुविचार दिए,
एक नए उत्पाद के रूप में,
केनरा एंजेल के प्रचार किये,
महिलाओं को कम बचत में भी,
कैंसर बीमा उपहार में दिए,
ताकि महिलाएं भी खुल के जिए।

बिना किसी सेवा शुल्क के,
निश्चित होकर अपने स्त्री धन से अपनी सुरक्षा स्वयं करे,
दुर्घटना में लगने वाली चोट से हुए नुकसान में कुछ तो राहत मिले,
डिजिटल युग में केनरा ए आई वन से,
खुद को वित्तीय रूप से सशक्त समझे,

अपने धन से खुद के लिए निवेश करे,
सरकारी योजना से लेकर मियादी जमा में स्वयं जागरूक बने।

महिला सशक्तिकरण में डिजिटल का पृष्ठ,
एंजेल खाता खोलकर हो जाए आकृष्ट,
अपना बचत अपने अनुसार,
ज्यादा बचत ज्यादा उत्कृष्ट,
छोटी हो या बड़ी, या हो मित्र घनिष्ठ,
देकर एंजेल का उपहार,
महिला दिवस में, बन जाओ मित्र एकनिष्ठ।

अपने सपनों के लिए, ले लो एक पहल,
खोज लो अपनी पहचान,
पूरी कर लो अपनी अनकही चाहतें,
थामकर वित्तीय सेवाओं का हाथ,
फिर से बोलो, खुद को पहचानो,
अपने लिए, अपनों के लिए,
एंजेल की तरह डिजिटल युग में फिर से उड़ों।



दिनांक 21.02.2025 को प्रधान कार्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की झलकियाँ



दिनांक 07.03.2025 को अंचल कार्यालय बेंगलूरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ



संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति का राजभाषाई निरीक्षण – अंचल कार्यालय जयपुर



दिनांक 05.03.2025 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा अंचल कार्यालय जयपुर का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के समापन पर उप समिति के माननीय सांसद उपाध्यक्ष श्री भतृहरि महताब सहित अन्य माननीय सांसदगण भी दिखाई दे रहे हैं। चित्र में श्री टी. के. वेणुगोपाल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु, श्रीमती गीतिका शर्मा, महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, जयपुर, श्री ई रमेश, सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय, श्री जी अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय एवं श्री देवीसहाय मीणा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), अंचल कार्यालय, जयपुर नज़र आ रहे हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति का राजभाषाई निरीक्षण – क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर



दिनांक 03.03.2025 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के समापन पर उप समिति के माननीय सांसद उपाध्यक्ष श्री भतृहरि महताब से सफल निरीक्षण हेतु प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री रवि श्रीराम केवीएस, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर, साथ में श्री टी. के. वेणुगोपाल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु, श्री ई रमेश, सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय, श्री जी अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय एवं श्री प्रकाश माली, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर (समवर्ती प्रभार)।



पुस्तक समीक्षा

कलि-कथा वाया बाइपास - अलका सरावगी



निशा शर्मा

प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या

कलि-कथा वाया बाइपास अलका सरावगी द्वारा रचित बेमिसाल कृति है। इससे जुड़ा एक तथ्य यह है कि यह लेखिका की पहली औपन्यासिक कृति है परंतु उपन्यास को पढ़ते समय कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह उपन्यास के क्षेत्र में उनका पहला प्रयास है। इस उपन्यास को 'श्रीकांत वर्मा पुरस्कार' और 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से नवाज़ा गया है।

शैली

उपन्यास के स्थापत्य की यदि बात करें तो कलि-कथा वाया बाइपास ने पारंपरिक उपन्यास लेखन के ढाँचे को बदलकर रख दिया है। कथाकार संपूर्ण कथा में उपस्थित होते हुए भी अपने विचार कथा पर थोपते हुए नज़र नहीं आता। कथाकार ने प्रत्येक चरित्र को परिस्थितियों के माध्यम से ही स्वतः विकसित होने दिया है। वैचारिक स्तर पर इस कथा में विभिन्न चरित्र हैं जिन्होंने इस कथा को विविधता से परिपूर्ण किया है परंतु फिर भी कथाकार ने न तो कहानी के सिरे टूटने दिए हैं न ही चरित्रों के विकास को अवरुद्ध होने दिया है। 90 के दशक में प्रचलित इकहरी शैली से हिंदी उपन्यास को उबारने का और हिंदी पाठक को कुछ नए कलेवर में साहित्य परोसने का श्रेय इस उपन्यास को अवश्य मिलना चाहिए। कथा में हर चरित्र की अपनी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है फिर भी किसी भी चरित्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कथा किसी एक विचारधारा का समर्थन करती है अथवा उसे स्थापित करना चाहती है। संपूर्ण पठन प्रक्रिया के दौरान पाठक वैचारिक रूप से एक अलग ही धरातल को अलग-अलग हिस्सों में महसूस करते हुए चलता है।

कथानक

कहानी का पहला सिरा 1997 में खुलता है जहाँ कहानी के नायक 'किशोर बाबू' की बायपास सर्जरी होकर चुकी है और अब

लेखिका परिचय

अलका सरावगी का जन्म 1960 ई. के नवंबर माह में हुआ। इनके पहले ही उपन्यास कलि-कथा: वाया बाइपास को वर्ष 1998 के साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



कृतियाँ - शेष कादम्बरी (बिहारी पुरस्कार), एक ब्रेक के बाद, जानकीदास तेजपाल मैशन, कोई बात नहीं (उपन्यास): एक सच्ची झूठी गाथा

कहानी की तलाश में, दूसरी कहानी (कहानी संग्रह)।

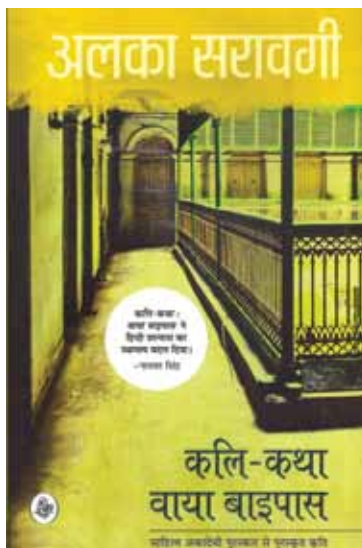
इनकी बहुत-सी कृतियों का जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषाओं एवं अनेक भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है।

उनके मिजाज अचानक बदल गए हैं। कहानी की शुरुआत में ही लेखिका ने 1997 के कलकत्ता का हल्का-फुल्का इशारा दे दिया है। भिवानी से कलकत्ता में जीवनोद्धार की आकांक्षा में आए एक मारवाड़ी परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी इस उपन्यास में कही गई है। इस कथा में न केवल एक परिवार की कथा पिरोई गई है बल्कि समय-समय पर नब्बे के दशक, कहीं आज़ादी से पूर्व जब अंग्रेज़ भारत में रेल लाए थे, से लेकर उदारीकरण और सन् 2000 तक के कलकत्ता का विस्तृत विवरण भी है। कहानी में तत्समय की महत्वपूर्ण घटनाओं यथा प्लासी का युद्ध, बंगाल के अकाल, डायरेक्ट एक्शन डे, द ग्रेट कैलकटा किलिंग, बंग- भंग, बाबरी

मस्जिद कांड आदि का विशद चित्रण किया गया है। किशोर बाबू के खानदान के इतिहास के साथ-साथ कलकत्ता का इतिहास भी इस उपन्यास में पढ़ा जा सकता है।

अगर कथानक को मोटे तौर पर देखा जाए तो मूलतः कहानी नायक किशोर बाबू की है जो बाइपास सर्जरी होने के बाद संपूर्ण विश्व को एक अलग ही निगाह से देखने लगते हैं। वे जीवन भर दक्षिणी कोलकाता के अभिजात वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में रहे। परिवार और खर्चों पर प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण और अनुशासन को बनाए रखने वाले किशोर बाबू सर्जरी के बाद पूरे बदल जाते हैं। वे न केवल 'सड़कमाप' बनकर कोलकाता की सड़कों पर पगलाए से घूमते रहते हैं अपितु अपनी इस भटकाव की यात्रा में अपने पूर्वजों से लेकर अपनी नातिन तक के समय का इतिहास और वर्तमान खंगाल डालते हैं। उनकी इस यात्रा में कलकत्ता शहर भी साथ-साथ यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है।

संपूर्ण कथा 16 अध्यायों में पिरोई गई है। पहले अध्याय 'कलि-कथा:1997' में मात्र सर्जरी के बाद बदले हुए किशोर बाबू का हल्कासा चित्रण और कलकत्ता शहर की एक झलक है। दूसरे अध्याय 'समवेयर इन द नार्थ' में तत्कालीन कलकत्ता जीवंत हो उठा है क्योंकि यह कथा का वह हिस्सा है जहाँ किशोर बाबू 'सड़कछाप' बनकर कलकत्ता की गलियाँ माप रहे हैं। उनके पिछले संस्करण में जहाँ उनके बच्चे उन्हें 'हिटलर' कहते थे वहीं उनका यह फकीरनुमा होकर सड़कों पर घूमना और कलकत्ता के उत्तरी हिस्से (जिसे पहले वाले किशोर बाबू अभिजात वर्ग के जाने लायक नहीं समझते थे) का ऊपटंग (उनके परिवार की दृष्टि में) वर्णन करना परिवार को कितना कष्ट दे रहा है, इसी का वर्णन है। तीसरे अध्याय 'बीच वाला कमरा कहाँ है' सही मायने में किशोर बाबू के पिछले जीवन का इतिहास अपनी कुछ झलक देता है। चौथे अध्याय 'कलि-कथा: 1940' में कलकत्ता का सजीव वर्णन है। इसी अध्याय में पहली बार किशोर बाबू के जीवन की संबल रही उनकी माँ, उनके छात्र जीवन के दोनों मित्र शांतनु और अमोलक से पहली बार हमारा परिचय होता है जो अंत तक किशोर बाबू के चरित्र को कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में



मारवाड़ी समाज और बंगाली जाति के प्रति लोगों की उस समय की अवधारणाओं का भी वर्णन है। इस अध्याय में प्लासी युद्ध की समीक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। पांचवें अध्याय 'जदि निर्वासने पाठाबेई- कलिकाता (कलकत्ता- यदि निर्वासन में भेजना ही हो तो)' में विशुद्ध रूप से किशोर बाबू के दादा-परदादाओं का इतिहास मुखर होता है। यहाँ सन् 1863 के आस-पास का समय है। इसमें किशोर बाबू के परदादा रामविलास और उनके पिताजी के समय का वर्णन है जो जीवन को बेहतर करने कलकत्ता आते हैं। इसमें भिवानी के मारवाड़ी समाज और कलकत्ता में आकर बसने वाले मारवाड़ियों दोनों का ही वर्णन जीवंत हो उठा है। इस समय किशोर बाबू के पूर्वजों की केवल एक ही कामना है - भिवानी में एक आलीशान हवेली बनाना और उसके लिए कलकत्ता में रहकर पैसा कमाना। इस अध्याय में तत्कालीन कलकत्ता एकदम एक चरित्र के रूप में ही आ खड़ा हुआ है। छठे अध्याय 'जिंदगियाँ बेमतलब' में साथ-साथ किशोर बाबू की कथा समानांतर चलती रहती है जहाँ किशोर बाबू के परिवार के अन्य महत्वपूर्ण लोगों से हम मिलते हैं। किशोर बाबू की भाभी, ललित भैया आदि जिन्होंने और जिनकी स्मृतियों ने किशोर बाबू के चरित्र के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। सातवें अध्याय 'पुनः कलि- कथा:1940' में किशोर बाबू के पिता के समय का वर्णन है। उनकी मृत्यु, किशोर बाबू के साथ उनके समीकरण, उनकी मृत्यु के बाद ननिहाल पर आश्रित होने से लेकर तत्समय की मारवाड़ी महिलाओं की दुर्दशा का भी वर्णन

है। आठवें अध्याय '7 नम्बर, प्रसन्न कुमार टैगोर स्ट्रीट' में देश की आज़ादी, मारवाड़ी जाति का पिछड़ापन, महिलाओं की हालत के साथ-साथ अंधविश्वास पर भी चोट है। इसी अध्याय में किशोर बाबू के इकलौते भाई ललित की मृत्यु का मार्मिक वर्णन है। अध्याय नौ 'कौल:1 जनवरी, 2000 ईस्वी' में तीनों मित्रों शांतनु, अमोलक और किशोर बाबू द्वारा किए गए एक वादे का जिक्र है कि वे एक जनवरी 2000 को जहाँ कहीं भी रहें मगर विक्टोरिया मेमोरियल में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के समक्ष मिलेंगे और उस दिन से संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। कहानी में इस कौल के धागे आगे जाकर खुलते हैं। अध्याय दस '2 जुलाई 1940' में किशोरबाबू का जीवन और आस-पास की घटनाएँ वर्णित हैं।

इस अध्याय में सुभाष चंद्र बोस और गाँधी के बीच में झूलता किशोर नज़र आता है। जीवन की उस आयु में जब मनुष्य अपने अस्तित्व की तलाश अक्सर विचारधाराओं के ज़रिए करने लगते हैं, ऐसे में किशोर के मस्तिष्क की ऊहापोह को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। इसमें बंगाली बुद्धिजीवियों और तात्कालिक बंगाली जाति का विशद वर्णन है। ग्यारहवें अध्याय 'हिटलर और नेहरू' में नाम के अनुरूप हिटलर और नेहरू का बहुत जिक्र नहीं है अपितु यह उस देशकाल को संदर्भित करने के लिए है। मगर इस अध्याय में किशोर बाबू के अपनी कथा लिखवाने के पीछे के उद्देश्य से पर्दा उठाने से कथानक का मर्म समझ में आने लगता है। बारहवें अध्याय 'नाइन्टीन फॉर्टी टू: अ लव स्टोरी' में युवक किशोर बाबू की कहानी आगे बढ़ती है जिसके जीवन की त्रासदी है कि घर में बैठी दो विधवाओं की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर है और जीविका चलाने के लिए मामाओं के कारोबार को नापसंद करने के बावजूद उनकी दुकान पर बैठकर उनके एहसान तले दबा चला जा रहा है। उसका मन मुक्ति चाहता है। इस अध्याय में उस समय के कलकत्ता के व्यापारिक माहौल, एक वर्ग में अंग्रेजों के लिए नफरत और स्वदेशी के लिए प्रेम तथा दूसरे वर्ग में व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेजों के समर्थन को सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस अध्याय में किशोर की शांतनु के ज़रिए स्वामी रामानंद कृष्ण से भेंट होती है जिसने जीवन के सहज संगीत से किशोर का परिचय कराया। वस्तुतः इस अध्याय में किशोर से अधिक स्वामी रामानंद कृष्ण उपस्थित हैं। इसी अध्याय में किशोर प्रेम के विराट स्वरूप को जान पाता है और इतने समय से स्वयं से भागने की चेष्टा से मुक्ति पाता है। तेरहवें अध्याय 'अकाल कभी नहीं होता' में बंगाल के अकाल का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। इस अध्याय में उस समय के कलकत्ता के दुर्भिक्ष का ऐसा विवरण है कि स्वतः ही पाठक उस समय के पीड़ितों से स्वयं को समानुभूत कर बैठे। चौदहवें अध्याय 'द ग्रेट कैलकटा किर्लिंग' में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का जीवंत एवं विस्तृत वर्णन है। इन सभी के दृश्य इतने सजीव हो उठे हैं कि मार्मिकता इस अध्याय में अपने चरम पर है। इसी के साथ 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद कांड और उसी के दौरान अमोलक की मृत्यु भी पूरी सजीवता के साथ वर्णित है। पंद्रहवें अध्याय 'आज़ादी की छाँव में: उत्तर कांड' में स्वतंत्रता के बाद और उदारीकरण का समय दिखाया गया है। यह पूरा अध्याय किशोर बाबू के मोह भंग की अवस्था के आरंभ, चरम और फिर अवसान का वर्णन है। सोलहवें अध्याय

'पुनश्चः' में कथा लेखक का आत्मचिंतन मुखर होकर उभरा है। उपन्यास के अंत में न सिर्फ आगामी विभीषिका की झलक दिखाई है अपितु पर्यावरण की चिंता भी जाहिर हुई है तथा अंतिम पृष्ठ पर जाकर शीर्षक में प्रयुक्त 'बाइपास' शब्द का औचित्य खुलता है।

भाषा-

लेखिका ने परिस्थितियों, चरित्रों, पृष्ठभूमियों और विचारधाराओं के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। पूरे उपन्यास की भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। न तो उसे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बोझिल बनाया गया है और न ही क्लिष्ट अथवा दुरूह किया गया है। स्थानीय भाषाओं के प्रयोग ने तत्कालीन समाज को जीवंतता प्रदान की है। चूँकि कलकत्ता कथा के केंद्र में है अतः बीच-बीच में बंगाली का प्रयोग तो अवश्यभावी है - जैसे बंगाली लोग मारवाडियों को निकृष्ट समझते थे तो उनके लिए टोडी बच्चे, मेडो, खोड्डा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं बंगाली बालाएं गाती हुई सुनाई पड़ती हैं- बौलो, बौलो बौलो/शतवीणा वेणु/सबे/भारत आबार जगत- सभाय/श्रेष्ठ आसन लबे। सड़क पर घूमता हुआ एक पागल कहीं कहता सुनाई देता है- 'एक जे छिलो नेहरू/हिटलर परे/शे कोरलो इलेक्शन/होलो सबार ऊपरे...'।

आजादी से पूर्व और उदारीकरण के आरंभ का भी समय चित्रित किया गया है अतः, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग परिस्थितानुसार किया गया है।

किशोर बाबू का लड़का अपने साथ हुआ किस्सा बताते हुए कहता है- वह पागल मेरी गाड़ी के नीचे आता-आता बचा। वो तो मैंने ब्रेक मारी तो गाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। तब उस पागल ने चीखते हुए कहा डू यू थिंक यू ओन दिस रोड।

किशोर बाबू की लड़कियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है- बचपन से गाहे-बगाहे पिता के तकियाकलाम - 'आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे' को पिता की तरह ही उन्होंने अपने जीवन में उतारा था।

रेल यात्रा के दौरान भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए किशोर बाबू बताते हैं-क्रोध, भय और दुख से मैं थरथरा रहा था। न जाने कैसे मैं उस पुलिसवाले की तरफ दौड़कर गया और उसके छड़ीवाले हाथ को पकड़कर मैंने उससे कहा, 'वाई आर यू हिटिंग हिम' उसने जवाब में मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे

हथौड़ा मार दिया है। मेरी आँखों के सामने अँधेरा छा गया। अब तक पिताजी दर्द भूलकर उठकर खड़े हुए थे और 'साहब, साहब, चाइल्ड, मिस्टर हैमिल्टन माई फ्रेंड' कह रहे थे।

इसी तरह जब वर्षों बाद शांतनु से मिलने किशोर बाबू उसके घर पहुँचते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि शांतनु की न केवल धारणाएं अपितु ठाठ-बाट भी बदल गया है। अचानक उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ी में कुछ कहने से शायद शांतनु को बुरा नहीं लगेगा और वे कहते हैं 'इट्स गुड टु सी दैट यू हैव मेड अ सक्सेज़ ऑफ योर लाइफ'।

वांछित स्थानों पर कहावतों और स्थानीय उक्तियों का भी प्रयोग किया गया है।

किशोर बाबू के पूर्वज रामविलास के समय महिलाओं की दशा का वर्णन एक जगह पर मिलता है जहाँ वे कहते हैं कि रामविलास की माँ ने अपनी मौसी का तिल-तिल कर गलना देखा है। माँ यह पद गाती है, 'आँखडियाँ झाँई पड़ी पंथ निहारी-निहारी, जीभडियाँ छाला पड्या, आया नहीं गिरधारी' - और उसकी आँखें बरसती रहती है।

उनके पिताजी जब परदेस जाकर कमाने की बात करते तो मां उन्हें रोकती। रामविलास के शब्दों में 'रुपया होवे रोकड़ो, सोरो आवे साँस; सम्पत होय तो घर भलो, नहीं भलो परदेस।' माँ जब भी पिताजी को कुछ कहती, पिताजी यह कहावत सुना देते।

इसी तरह स्थानीय भाषाओं के शब्द और देशज शब्द चरित्रों को जीवंतता प्रदान करते हुए दिखते हैं।

यह भाषा का ही कमाल होता है कि जिस समय को पाठक ने कभी जीया नहीं होता, वह भी कृति को पढ़ते हुए उसकी आँखों के सामने सजीव हो उठे। एक उदाहरण के लिए दुर्भिक्ष के दौरान की दुर्दशा का वर्णन कितनी मार्मिकता से किया गया है, यह देखते हैं। अकाल के समय मिदनापुर से आया साठ साल का निमाई हालदार सड़क पर किशोर को भीख माँगते हुए मिलता है।

'पिछले साल तूफान आया, फिर बाढ़। हमारा तो सब कुछ उसी में खत्म हो गया बाबू-फसल, घर-बाड़ी, अनाज, बकरियाँ और बर्तन। बाज़ार में चावल ही नहीं था और था भी तो उसका पहले से छह गुना दाम देने को हमारे पास पैसे कहाँ से आते? कोई कहता कि सरकार ने सारा चावल फौज के लिए कलकत्ता भेज दिया है। कोई कहता, हर साल की तरह बर्मा से चावल नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ

जापानी लोग आ गए हैं। हमने घास खाई। मेरा एक लड़का घास नहीं पचा पाने के कारण उल्टी-टट्टी करता मर गया। फिर हमने पत्ते खाए, जंगली जड़ें खाई, घोंघे खाए। सरकार ने हमारी नौकाएं छीन लीं, नहीं तो हम कम से कम मछली मारकर खा सकते थे। बोलते थे, जापानी लोग आएंगे तो उनको नौका नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग क्या करते बाबू? दूसरे लड़के ने मेरे इकलौते पोते को गला घोटकर मार डाला क्योंकि वह खाने के लिए रो रहा था और बर्दाश्त नहीं कर सका मैं। उन लोगों के साथ और नहीं रह सका। रात को भाग निकला वहाँ से। हम लोग सब राक्षस बन गए थे- राक्षस!'

उपन्यास के पात्रों की दर्शनिकता भी इतनी सहज भाषा में व्यक्त की गई है कि कहीं भी बोझिल नहीं लगती। जैसे किशोर बाबू स्वालाप में कहते हैं-

इस संसार में बीता हुआ कुछ भी खोता नहीं है। कैसे खो सकता है जब हम हैं अभी तक? ज़्यादा से ज़्यादा वह हमारे अंदर भीतर कहीं दूर पुराने उजड़े शहरों की तरह ऊपर की परतों की तह में दफन हो जाता है- वे सारे शब्द जो हमने सुने, जो हमने बोले, वे सारे दृश्य जो हमने देखे, वे सारे सुख-दुख जो हमने झेले। बीती हुई एक घड़ी भी कभी मरती नहीं। वह वहीं अंदर दुबकी रहती है और कहते हैं कि जिस समय आदमी मरता है, वह एक फिल्म की रील की तरह अपनी जी हुई जिंदगी को फिर बचपन से अभी तक पूरी-पूरी देखता है, लेकिन रिलीज हुई फिल्म की तरह वह उसमें कुछ बदल नहीं सकता।

कुल मिलाकर भाषा के स्तर पर भी उपन्यास पूरी तरह साहित्यिक प्रतिमानों पर खरा उतरता है। सामान्यतः जब एक ही कथा में कई वातावरणों और समयों की बात की जा रही होती है तो कथा के तार बँधे नहीं रह पाते। परंतु इस उपन्यास में कहीं भी एक देश-काल से दूसरे में प्रवेश करते समय किसी प्रकार की तारतम्यता भंग होने या कथा के विच्छिन्न होने का आभास नहीं होता। कहानी अपने पूरे प्रवाह के साथ अबाध रूप से चलती हुई लगती है और पाठक साथ-साथ बहते हुए ही स्वयं को पाता है।

तात्त्विक रूप से देखा जाए तो यह एक बेहतरीन उपन्यास है। अपने पहले ही प्रयास में अलका सरावगी ने पूरे औपन्यासिक स्थापत्य को एक नया रूप देकर भी साहित्यिक प्रतिमानों को छिन्न-भिन्न नहीं होने दिया है।



आलेख

नारी सशक्तिकरण : एक नया सवेरा



रोहित कुमार

अधिकारी

करीमनगर - II शाखा

हमारे समाज में नारी सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है, जिस पर अक्सर चर्चाएं होती हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम इसे समझते हैं? नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि वे अपने जीवन के हर निर्णय को स्वयं ले सकें। जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो वह न केवल अपने परिवार को संवारती है बल्कि समाज और देश को भी सशक्त बनाती है।

प्रतिदिन बैंक में काम करते हुए, मैं कई महिलाओं से मिलता हूँ जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने की ललक होती है। कोई छोटे बिज़नेस की शुरुआत करना चाहती हैं तो कोई अपनी बेटी की शिक्षा के लिए बचत करना चाहती हैं। इन सभी महिलाओं में एक बात समान है—स्वयं को सशक्त बनाने की चाहत। इसी चाहत को समर्थन देना और उसे साकार करना ही नारी सशक्तिकरण का असली उद्देश्य है।

नारी सशक्तिकरण क्या है?

नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना ताकि वे अपने जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकें। यह केवल शिक्षा या आर्थिक मज़बूती तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक स्वतंत्रता भी शामिल है। जब एक महिला अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है तभी उसे सही मायनों में सशक्त कहा जा सकता है।

सशक्त महिला न सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाती है बल्कि अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की में भी योगदान देती है। आज

के दौर में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नहीं है।

नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है?

हालांकि, आधुनिक समय में महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं लेकिन आज भी बहुत सारी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी हैं। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:

1. लैंगिक असमानता (Gender Inequality)

आज भी कई जगहों पर लड़कियों को लड़कों के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी हो या पारिवारिक फैसले—महिलाओं को हमेशा पुरुषों से पीछे रखा जाता है।

2. आर्थिक निर्भरता

कई महिलाएँ आज भी आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं जिससे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पातीं। अगर महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी तो वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकेंगी।

3. घरेलू हिंसा और उत्पीड़न

घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ महिलाओं के विकास में बाधा बनती हैं। जब महिलाएँ सशक्त होंगी तो वे ऐसी हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगी और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी।



4. शिक्षा का अभाव

कई गाँवों और छोटे शहरों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। बिना शिक्षा के महिलाएँ न ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं और न ही समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं।

5. समाज की मानसिकता

आज भी कई लोगों की सोच यही है कि महिलाएँ केवल घर सँभालने के लिए होती हैं। यह मानसिकता बदलना बेहद ज़रूरी है ताकि महिलाएँ भी अपने सपनों को पूरा कर सकें।

शहरों, गाँवों और विकसित क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति

- गाँवों में आज भी महिलाओं को शिक्षा और रोज़गार के समान अवसर नहीं मिलते। कई जगहों पर लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है और वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती।
- कई ग्रामीण महिलाएँ आज भी घर के कामों तक सीमित हैं।
- उन्हें आर्थिक फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी जाती।
- शिक्षा का अभाव और जागरूकता की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है।
- बहुत सी महिलाएँ खेती या मजदूरी का काम करती हैं लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता।

2. शहरी महिलाओं की स्थिति

शहरों में महिलाएँ अधिक शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है।
- कार्यस्थलों पर असमान वेतन और लैंगिक भेदभाव की समस्या बनी रहती है।
- सुरक्षा को लेकर अब भी चिंता बनी रहती है।

3. विकसित क्षेत्रों की महिलाएँ

विकसित शहरों में महिलाएँ पहले से अधिक सशक्त हैं। वे उच्च पदों पर काम कर रही हैं और कई क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है।

बैंकों की भूमिका: वित्तीय सशक्तिकरण की ओर एक कदम

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वित्तीय सशक्तिकरण की होती है। और इसमें बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं खुद एक बैंक कर्मचारी के रूप में यह देखता हूँ कि कैसे सही वित्तीय योजनाओं और सुविधाओं के ज़रिए महिलाएँ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं।

1. महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHGs)

सरकार और बैंकों द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को छोटी-छोटी बचत करने और लोन लेने की सुविधा देते हैं। इसमें महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है जो आपस में पैसे जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता देता है। इससे वे छोटी-छोटी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर सकती हैं जैसेकि सिलाई-कढ़ाई, छोटे स्टोर्स, ब्यूटी पार्लर आदि।

2. मुद्रा योजना (PMMY - Pradhan Mantri Mudra Yojana)

यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार है जो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं। 50,000 रुपये से 10

लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। मैंने अपनी शाखा में कई ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने इस योजना के तहत लोन लिया और आज अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रही हैं।

3. महिला उद्यमिता (Women Entrepreneurship) को बढ़ावा

बैंकों द्वारा कई योजनाएँ चलाई जाती हैं जिनसे महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए:

- स्टैंड अप इंडिया योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है।
- महिला बैंकिंग सेवाएँ: कई बैंक विशेष रूप से महिलाओं के लिए अलग से सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि कम ब्याज़ दर पर लोन, कम शुल्क पर बैंकिंग सुविधाएँ आदि।

4. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) – बेटी के लिए आर्थिक सुरक्षा

कई महिलाएँ सिर्फ इस चिंता में रहती हैं कि उनकी बेटी की पढ़ाई और शादी का खर्च कैसे उठेगा। सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी माताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसमें बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जाता है जिसमें बचत की जा सकती है और यह योजना अच्छे ब्याज़ दर के साथ भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देती है।

महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएँ और उनका प्रभाव

सरकार ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं। ये योजनाएँ सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास भी देती हैं ताकि वे खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: यह योजना शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाई गई है।
- उज्ज्वला योजना: इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर उनकी सेहत और जीवनशैली में सुधार किया।

- जन धन योजना: इस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए जिससे वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हुईं।

हमारी शाखा में भी हमने कई महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम किया है ताकि वे वित्तीय रूप से सशक्त बन सकें।

महिलाओं की सफलता की कहानियाँ: प्रेरणा स्रोत

आज नारी सशक्तिकरण के कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो यह दर्शाते हैं कि अगर महिलाओं को सही अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं।

1. निर्मला सीतारमण: भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं और अपनी मेहनत व काबिलियत के बल पर भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ केवल घर तक सीमित नहीं हैं वे देश की आर्थिक नीतियाँ भी बना सकती हैं।

2. किरण मजूमदार शॉ: बायोकॉन की संस्थापक

किरण मजूमदार शॉ भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने बायोकॉन की स्थापना की जो आज एक बड़ी बायोटेक कंपनी है। उनकी सफलता दिखाती है कि महिलाओं को अगर सही अवसर और समर्थन मिले तो वे बिज़नेस जगत में भी झंडे गाड़ सकती हैं।

3. पी.टी. उषा: भारतीय खेल जगत का चमकता सितारा

पी.टी. उषा को 'उड़न परी' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया और यह साबित किया कि महिलाएँ खेलों में भी पीछे नहीं हैं।

4. मैरी कॉम – पाँच बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन

मैरी कॉम ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी महिला दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है।

एक छोटे गाँव की महिला की कहानी

हरियाणा के एक गाँव की गीता देवी ने स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर डेयरी बिज़नेस शुरू की। आज वह अपने गाँव की कई महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं।

नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, पूरे समाज की ज़िम्मेदारी

अक्सर लोग सोचते हैं कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए है लेकिन सच तो यह है कि यह पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो पूरे परिवार की स्थिति सुधरती है।

समाज में बदलाव कैसे लाया जा सकता है?

1. शिक्षा को प्राथमिकता दें: बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी कदम है।
2. रुढ़िवादी सोच बदले: लड़कियों को सिर्फ घर तक सीमित रखने की मानसिकता बदलनी होगी।
3. महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएं: बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में उनकी मदद करें।
4. कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएं: इससे वे बिना किसी डर के काम कर सकेंगी।

निष्कर्ष

नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो हर महिला के आत्मनिर्भर बनने की राह को आसान बनाता है। एक बैंक कर्मचारी के रूप में, मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूँ कि महिलाएँ अपने हक के लिए आगे आ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमें भी अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभानी होगी—चाहे वह बेटियों को शिक्षित करना हो, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हो या समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना हो। जब हर महिला सशक्त होगी, तभी हमारा समाज और देश सही मायनों में सशक्त होगा।



रीमा बनर्जी

अधिकारी

एस.एम.ई. झारसुगुडा शाखा



कविता

नारी तू
नारायणी

ईश्वर को भी अपने कृति पर गर्व भारी है,
क्योंकि उनकी उत्तम कल्पनाओं का एक अंश नारी है।
कल्याणकारी काम के उद्देश्य से जो ईश्वर के गोद में जन्म लेती है,
वह शक्ति की स्वरूप स्वयं एक जीवन को जन्म देती है।
माँ, बहन, पत्नी, दोस्त और न जाने उसके कितने पर्याय हैं,
नारी के बिना जीवन में हर एक व्यक्ति असहाय है।
अपनी भावनाओं को समेटे जो कितने ही बलिदान की भाव मूरत है,
इस उतार-चढ़ाव भरे जीवन में हर क्षण नारी से ही खूबसूरत है।
अत्यन्त तेज और पराक्रम की छवि है नारी,
उसके निश्चल और निःस्वार्थ प्रेम पर टिकी है दुनिया सारी।
जिसकी प्रयत्नशीलता और कुशलता पर हर किसी को अभिमान है,
नारी वही, जो हर मुश्किल में हुए उत्थान की पहचान है।
जो असहनीय पीड़ा सह एक जीवन को जन्म देती है,
दूसरो की खुशियों के लिए सारे दुख हर लेती है।
इतिहास के पन्नों पर न जाने कितनी ही नारियों ने
युद्धभूमि पर अपनी पहचान बनाई है,
आधुनिक युग में भी हर क्षेत्र में नारी ने
आत्मविश्वास की नई रोशनी फैलाई है।
भाग्य से होते हैं बेटे, सौभाग्य से बेटियाँ होती हैं,
जो सपनों में भर दे प्राण, वही कुल की सच्ची शान होती है।
जिसके अथक प्रयासों से देश का हुआ उत्थान,
ऐसे दिव्यशक्ति स्वरूपा नारी का हृदय से करो सम्मान।
नारीत्व अखण्ड सौभाग्य, अमूल्य बलिदान और करुणा का वचन है,
नारी तू नारायणी है, तुझे मेरा कोटी-कोटी नमन है।

आलेख

भारतीय समाज में नारी की स्थिति



मिहिर कुमार मिश्र

प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।

महिलाएं परिवार की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माता ही संतान को स्वर व अक्षर का ज्ञान कराती है, संस्कार देती है और विद्यार्जन के लिए तैयार करती है। मां ही अपनी संतान की प्रथम पाठशाला की प्रथम शिक्षक होती है। महिलाओं का समाज में शिक्षा और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके माध्यम से समाज में ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार- प्रसार प्रभावी ढंग से होता है।

वर्तमान समय में भारतीय महिलाएं ऊर्जा से पूर्ण, दूरदर्शी, उत्साही एवं अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समस्त चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं।

“सिमोन अपनी किताब ‘द सेकंड सेक्स’ में कहती हैं कि महिलाओं की बराबरी की बात करते समय हमें उनके जैविक अंतर की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वह कहती हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच जो जैविक अंतर है उसके आधार पर महिलाओं को दबाना बहुत ही अन्यायपूर्ण और अनैतिक है।”

यदि हम मानव जाति के डार्विन की विकास वादी सिद्धांत से समाज के प्राचीन और आधुनिक इतिहास में स्त्री की दशा को उल्लेखित करना चाहेंगे, तो पाते हैं कि मानव जीवन के इस प्रारंभिक

अवस्था में जब मानव सभ्यता की शैशवस्था थी, उस समय समाज मातृसत्तात्मक थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नारियों की दशा को प्रतिबिंबित करता है। जब सिंधुघाटी सभ्यता के परवर्ती स्थिति में नारी की स्थिति को देखते हैं जो वैदिक सभ्यता के दो भागों ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभ्यता पर आधारित समाज का मूल्यांकन इतिहासविद करते हैं। वैदिक काल, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण काल था। सामान्यतः वैदिक काल सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत विकसित रहा।

ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में नारी की काफी प्रतिष्ठा थी। स्त्रियों को अनेक स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं; पर्दा- प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्या के रूप में नारी को उच्चतम शिक्षा पाने का अधिकार था। पत्नी के रूप में गृहस्वामिनी कहलाती थी और धार्मिक और सामाजिक अधिकार पति के समान थे। स्त्रियाँ स्वतंत्र रूप से बाहर आ-जा सकती थीं तथा यज्ञों और उत्सवों में भाग लेती थीं। इस युग में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी नारियाँ ऋषिपद पा चुकी थीं। बहुत सी स्त्रियों ने मंत्रों की रचना की थी, इस प्रकार इसे स्त्री के विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की दशा पहले से खराब हो गयी थी; जिसका काल निर्धारण 1000 ई. पू. से 600 ई.पू. तक माना जाता है। उसका कानूनी अधिकार सीमित था। धनीवर्ग एवं राजाओं के बीच बहुविवाह की प्रथा चल पड़ी थी, बहुविवाह के कारण स्त्रियों का जीवन कष्टमय हो गया था। स्त्री और पुरुष में असमानता हो चली थी एवं परिवार पितृसत्तात्मक हो चला था। नारियों को सामान्यतः निम्न दर्जे से देखा जाता था। मैत्रीयणी संहिता में नारी को पासा और सुरा के साथ- साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत श्लोक के अनुसार पुत्री ही सभी दुखों का स्रोत और पुत्र ही परिवार का रक्षक था। उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा पर



विशेष जोर दिया गया था, ज्ञानार्जन में रूकावट नहीं थी, जिसका दृष्टांत गाँगी और मैत्रेयी हैं।

किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने, परखने, उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोपरि आधार उस काल की स्त्रियों के दशा का अध्ययन करना है। यह किसी भी सभ्यता या संस्कृति का मापदंड माना जाता है। हालाँकि, भारत में स्त्रियों का इतिहास अत्यंत गतिशील रहा है।

मुगलकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय थी। मुगलकालीन भारतीय समाज में उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें केवल मनोरंजन एवं भोग विलास का साधन समझा जाता था। मुस्लिम एवं हिंदू स्त्रियों में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं जैसे: सती प्रथा, विधवा पुनः विवाह पर रोक, बहुविवाह और पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों की जीवन शैली जानवर जैसी थी। केवल उच्च वर्ग से संबंधित स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे लेकिन निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा दयनीय थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट तब आयी जब भारतीय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जेत ने पर्दा प्रथा को भारतीय समाज में लाया।

राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियाँ या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिंदू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाने लगा था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। चाँद बीबी ने 1950 की दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी वास्तविक शक्ति के रूप में हासिल की।

भक्ति आंदोलन के कुछ समय बाद सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक ने भी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने, सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाए जाने वाले कीर्तन एवं उसकी

अगुआई करने; धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने; युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने, विवाह में बराबरी का हक और अमृत(दीक्षा) में समानता की अनुमति देने की वकालत की। भक्ति आंदोलन ने देश में बड़ी कवित्रियों को जन्म दिया। तमिलनाडु में आंडाल, हिंदी प्रदेश में मीराबाई, कर्नाटक में अक्क महादेवी। इन लोगों ने रचनाओं में केवल भक्ति की भावनाएं व्यक्त नहीं की वरन नारी की पराधीनता और मुक्त जीवन बिताने की उसकी आकांक्षा भी व्यंजित की। अक्क महादेवी ने सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना वैसे ही की जैसे आंध्रप्रदेश में वेमना ने एवं हिंदी प्रदेश में कबीर ने की।

सी.एच.हीमसाथ के अनुसार हिंदू समाज सुधार के इतिहास में प्रथम अवस्था राममोहन राय के काल को, दूसरी अवस्था बेहराम जी मालाबारी और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन तथा तीसरी अवस्था तब आई जब समाज सुधार को राष्ट्र की आत्मा के जागरण के साथ जोड़ा गया और बीसवीं शताब्दी के उग्रवादी नेताओं के कार्य से सम्बद्ध किया गया। इसमें एक चौथा क्रम उस काल को जोड़ते है जब गाँधी के नेतृत्व में समाज सुधार, भारतीय समाज के सर्वतोमुखी पुनर्जीवन का भाग बना।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में राजाराम मोहन राय, दयानंद सरास्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा केशव चंद्र सेन ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह आदि को रोकने के लिए आंदोलन की जिसका परिणाम हुआ कि सती प्रथा विशेष अधिनियम 1829, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाये गए। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी प्रभाव डाला। फलस्वरूप, नारी की स्थिति में सकारात्मक रूप से परिवर्तन हुआ। स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई एवं महिलाओं को जागरूक करने के लिए अनेक संगठनों का निर्माण हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्रियों की शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार की माँग की गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के समय में सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन हुए। करीब 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन काल में स्त्रियों के जीवन में अनेक सुधार हुए। औद्योगिकीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आंदोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों में स्त्रियों की दशा में एक सकारात्मक सुधार की शुरुआत की।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारतीय स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का महिलाओं के प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही भारत सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास करने हेतु अनेकानेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिला की स्थिति को रेखांकित करते हुए अपना विचार व्यक्त किया कि महिलाओं की स्थिति ही देश के स्वरूप को निश्चित करती है। राममनोहर लोहिया की दृष्टि में, नारी के साथ अन्याय संभवतः विश्व का महानतम अन्याय है। उन्हें यह सभी अन्यायों का मूल कारण प्रतीत होता है। नारियों की इस असमानता का उन्मूलन अधिक अवसर प्रदान करके किया जा सकता है। लोहिया इसे सामंतवाद के कारण नारियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं।

महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु, शिक्षा में समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक- सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले दशकों में विशेष प्रयास किए गए हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आर्थिक अधिकारों के साथ - साथ, हमें स्त्रियों को शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी अधिकार- संपन्न बनाना होगा। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि विकास प्रक्रिया को निचले - स्तर की ग्रामीण जनसंख्या से घनिष्ठ समंवित रूप से जोड़ा जाए। महिला को महत्वपूर्ण स्थान के कारण उनकी सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया। महिला सशक्तीकरण की शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से कुछ विशेष जोरों से किया जा रहा है। भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले तीन दशकों तक महिला कल्याण की शब्दावली का आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा। 80 के दशक में इसके स्थान पर महिला विकास की शब्दावली अधिक प्रचलित हुई। बाद में 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में महिला समानता एवं अंतिम चरणों में महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारिता की गूँज बहुत तेज़ी से होने लगी।

सशक्तिकरण अथवा अधिकारिता शब्द पूर्व प्रयुक्त सभी शब्दों की तुलना में अधिक व्यापक और सारगर्भित है जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली-भाँति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार महिला सशक्तिकरण औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वे अपने जीवन - स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकें। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप मनाने के बाद वर्ष विशेष में देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को नई गति प्रदान करने, उनके प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं में कमी लाने, महिला अधिकारों और नारी शक्ति के संबंध में उनमें जागरूकता और चेतना विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयास किए जाने की घोषणाएं की गई।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-आते महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किए। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित आत्मविश्वासी हैं जिसने पुरुष प्रधान चुनौतिपूर्ण क्षेत्रों भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। आज महिलाएं न केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग विशेषज्ञ बल्कि अभियंता, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही हैं। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटील एवं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, विभिन्न प्रांतों में अनेक महिला मुख्यमंत्रियों ने काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटेकर, श्रीमती किरण मजुमदार, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति, आदि महिलाएं ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी.ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा, आदि नए कीर्तिमान

स्थापित किए हैं। भारतीय पुलिस सेवा में श्री किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला एवं सुनीता विलियंस आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँचकर नए आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनियाँ में भारत और यहाँ की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परिक्षार्थियों में 50% महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आज़ादी पश्चात लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% प्रतिशत पेशेवर महिलाएं हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधार हुए हैं। आज़ादी के 76 वर्षों के पश्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियमों की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। हालाँकि पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी उनको नहीं मिल पाती, यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को पता ही नहीं हो पाता है कि उनके संविधान प्रदत्त कौन - कौन से अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर समान मौलिक स्वतंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति को गहराई से विश्लेषण करने के फलस्वरूप हम पाते हैं कि अतीत में भारतीय नारी की स्थिति अपने सर्वोच्च स्थिति में थी। कालांतर में नारी की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों में परिवर्तन आया जो अत्यंत चिंतनीय थी। पुनः, आज़ादी के बाद भारतीय नारी की स्थिति में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। नारी को संघर्ष की साक्षरता की आवश्यकता है, उसे स्वाभिमान की वर्णमाला की आवश्यकता है, उसे आत्मावलंबन एवं साहस की शब्दावली की आवश्यकता है। तभी वह अपने समाज में एक सम्माननीय स्थान बना सकती है एवं राष्ट्र के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सकती है।

**देवियाँ देश की जाग जाँ अगर।
युग स्वयं ही बदलता चला जायेगा।।**

- श्री राम शर्मा आचार्य



आलेख

भारतीय समाज में महिला सुरक्षा के विविध आयाम



सीमा

प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य दिल्ली

इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है- किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति-रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मनु ने कहा : यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। अर्थात् जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। वेदों के समय की बात की जाए तो उस समय में महिलाओं का समाज में बहुत आदर सम्मान था। उन्हें सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से एवं नैतिक रूप पुरुषों के समान माना जाता था। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मौलिक अधिकार प्राप्त थे। गार्गी एवं मैत्रयी नाम की दो महिला संतो का उदाहरण रिगवेद और उपनिषद में भी दिया गया है। समाज में नारी को एक देवी समान माना जाता है। पुराने जमाने में नारी को विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में नारी का सम्मान किया जाता था। सीता, सती - सावित्री, अनुसुया और गायत्री जैसे भारतीय नारियों ने अपना मुख्य स्थान प्राप्त करके दिखाया है।

इतिहास को देखें तो महिलाओं का पतन मनुस्मृति के साथ शुरू हुआ। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, और व्यावहारिक रूप से बहुत खराब होती गई। भारत में समय-समय पर होने वाले सत्ता परिवर्तन से महिलाओं से उनके हक छिनते चले गए। महिलाएं सामाजिक बेडियों में बंधकर रहने लगी जिनमें प्रमुख थी - सती प्रथा, बाल-विवाह, विधवाओं के पुनःविवाह पर रोक आदि।

मुगल काल के बाद भारत में ब्रिटिश राज में भी हालात नहीं सुधरे थे बल्कि उसके बाद तो व्यवस्था और भी बिगड़ गयी थी। इसके

बाद महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया और महिलाओं से आह्वान किया कि वे सभी आज़ादी के आन्दोलन में हिस्सा लें। इसके बाद ही सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अरूणा आसफ़ अली जैसी महान नारियों ने अपना सहयोग दिया और महिलाओं की दशा-दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही व्यापक स्तर पर महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाने लगा। इंदिरा गांधी खुद अपने-आप में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी। उन्हीं की राह पर चलते हुए अनेको महिलाएं समाज में गौरवपूर्ण पदों तक पहुँची।

महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिये हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले सचेत हैं। महिलाएं अब अपनी पेशेवर ज़िन्दगी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक को लेकर बहुत अधिक जागरूक हैं जिससे वे अपने परिवार की देखभाल बहुत आसानी से कर सकती हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर आज तक की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय किये हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है।

प्रत्येक समाज और देश में समय के साथ अनेकों परिवर्तन होते हैं। उपभोगिता वादी संस्कृति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, परिणाम स्वरूप लोगों की सोच और संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। हमारे देश में समाज में कुछ असभ्य लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार



करते हैं। उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। सरेआम युवतियों से छेड़खानी करना, महिलाओं और युवतियों से पर्स छीनना, गले की चेन झपटना, युवतियों से गलत नियत से जान-पहचान कर उनका यौवन-शोषण करना आदि अनेक कुकृत्य आम बात हो गई है।

आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 21397 हो गया। इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किए गए और 2019 में यह संख्या 36735 हो गयी। पिछले वर्ष यहां सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इसी तरह राजस्थान में 3759, उत्तरप्रदेश में 3467, महाराष्ट्र में 3438 और दिल्ली में 2096 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आमतौर पर राजनीतिकों द्वारा बिहार में जंगलराज की बात कही जाती है। लेकिन गौर करें तो यह राज्य महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से बेहतर है। आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी ज़िम्मेदार माना जाता है। लेकिन विडंबना है कि संपूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाने वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। यहां पिछले वर्ष 2347 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किये गये।

दिसम्बर 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ पांच युवकों ने दुराचार किया, उनके साथ पशुओं के समान हिंसक व्यवहार किया। वह युवती निर्भर्या बनकर यथाशक्ति उनका विरोध करती रही, मरणासन्न अवस्था में उनका उपचार भी किया गया। परन्तु तमाम उपायों के बावजूद उनकी जान बचाई न जा सकी।

इस घटना से आक्रोशित जनमानस ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने फरवरी 2013 में निर्भर्या

फौजदारी कानून एक्ट में बलात्कार और यौन शोषण को लेकर कठोर कानून बनाया। कानून की विभिन्न धाराओं में महिलाओं पर एसिड से हमला करना, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार तथा बलात्कार को जघन्य अपराध घोषित कर कठोर कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

हाल ही में, ऐसा एक केस उन्नाव की महिला के साथ हुआ। उस युवती के मुँह खोलने पर उसे ज़िन्दा जला दिया गया। अपराधों की कड़ी में हैदराबाद की डाक्टर का केस तो इतना भयावह ही नहीं अपितु, मानवता पर गंभीरतम प्रहार है। त्रासदी यह है कि भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित हज़ारों कानून हैं परन्तु इस सब के बावजूद देश में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कमी होने की बजाय वृद्धि हो रही है। बलात्कार जैसे अपराध की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिये सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जाँच और अभियोजन तंत्र को मज़बूत करने तथा महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के उपायों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये गए।

आज जनवरी 2025 में खबर आई कि पूणे के एक स्कूल में, एक दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ने अपने दोस्त को 100/- दिये और अपनी कक्षा की ही एक लड़की का रेप करने को बोला और उसे मार डालने को कहा क्योंकि उस लड़की ने अपनी टीचर को यह बता दिया था कि उस लड़के ने अपने रिपोर्ट कार्ड में अपने माता पिता के हस्ताक्षर स्वयं किये हैं। यह घटना हम सब को सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज समाज में संस्कारों का कितना विघटन हो रहा है। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

आज के संदर्भ में गांव हों या शहर नन्हीं बच्चियों, किशोरियों, लड़कियों, युवतियों महिलाओं, वृद्धाओं सभी आयु वर्ग की महिलाएं आतंकित हैं। उनकी सुरक्षा एक समाज का महत्वपूर्ण कार्य है। महिला सुरक्षा की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कम्पनियों एवं समाज सेवी संस्थाओं ने विभिन्न मोबाइल एप लॉन्च किये हैं। यह निम्न हैं:-

सेफ्टीपिन रक्षा-विमिन सेफ्टी अलर्ट-हिम्मत-बीसेफ-शेक2सेफ्टी-वाच ओवर मी एप्प-स्मार्ट24*7-चिल्ला-सिक्योर हर-

टैक्सीपिक्सी हाल ही में शहर में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसे और भी बहुत से एप्प उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बनाये गये हैं। इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा हेतु कुछ प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक है। यह आत्मरक्षक तकनीक उन्हें उनके बचपन से सीखनी होगी। उनके लालन-पालन के दौरान उन्हें सब से पहले यह समझाना होगा कि वह पुरुषों से कमजोर नहीं हैं। उनके आत्मरक्षा प्रशिक्षण में किक टू, ग्रीन, ब्लॉकिंग पंच, ताइकोनडो आदि हैं। आज के समय में अधिकांश लड़कियां पढ़ाई-लिखाई या फिर जॉब के सिलसिले में अकेली रहती हैं तो ऐसे में अपनी सुरक्षा की दृष्टि महिलाओं के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें :

- यदि वे नए घर में जा रही हैं या फिर नया मकान किराया पर ले रही हैं तो सबसे पहले वहां के माहौल, परिवेश के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। क्या वहां पर सुरक्षा गार्ड्स के इंतजाम हैं या नहीं ये जरूर जांच कर लें। कभी भी दरवाजे की घन्टी बजने पर अचानक से दरवाजा ना खोल दें। पहले ये जानने का प्रयास करें कि वो आदमी आपका परिचित है या नहीं। अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोलें। सुरक्षा चेन का प्रयोग करें।
- समय-समय पर अपना दिनचर्या बदलते रहना भी जरूरी है। एक जैसी दिनचर्या रखने पर कोई भी आपके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर सकता है। घर में काम करने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति को रखने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लें।
- रात को सोने से पहले सभी दरवाजों को जरूर जांच कर लें कि बंद हैं। घर से बाहर निकलने पर आपको और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान में रख लें कि महिला की सुरक्षा उसकी सतर्कता पर ही निर्भर करता है।
- घर से बाहर निकलें तो अपने पास में कुछ जरूरी सामानों को रखना बिल्कुल ना भूलें जैसे की मिर्ची स्ट्रे, पेपर स्ट्रे। इनको ऐसे जगह पर रखें ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इनको आसानी से निकाल कर प्रयोग में ला सकें। अगर कभी हमलावर ने आप पर आक्रमण किया तो वैसी स्थिति में आप उसकी आंखों में स्ट्रे कर भाग सकती हैं।

- कई बार होता ये है कि लोग सड़कों पर चलते समय हेडफोन लगा कर गाने सुनते हुए चलते हैं। ये गलत आदत है। चेन स्नैचर अक्सर इस तरह के मौके का लाभ उठाकर पीछे से हमला कर देते हैं। संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता है। हमेशा चौकन्ना रहें और आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें।
- सड़क पर चलते समय भी सतर्क रहें। अगर आपको किसी शख्स की गतिविधि गलत लग रही है तो शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।
- सबसे जरूरी बात यह कि आपके अंदर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए।
- यदि कोई आपको बार बार छूने की कोशिश करें या पीछा करें, तो यह कई बार देखा गया है कि बहादुर महिलाओं ने अपने आसपास की चीजें जैसे पर्स, डंडे, सैंडल, पानी की बोतल को ही अपना हथियार बना कर हमला करने वाले के नाजुक अंगों पर वार कर उस को पराजित कर दिया है।
- कैसे भी बुरे हालात हों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुद को बचाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना है।
- आत्मसुरक्षा के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको भी चाहिए की इस तरह का प्रशिक्षण जरूर प्राप्त कर लें।

हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें।

किसी लेखक ने सही लिखा है:

अपमान मत करना नारी का
इनकी धुरी पर घर, समाज देश चलता है,
पुरुष जन्म लेकर
इन्हीं की गोद में पलता है,
फिर क्यों हैवान बन इनको ही निगलता है?



आलेख

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस



शिखा श्रीवास्तव

प्रबंधक

भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों, समानता और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। महिला दिवस का उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और योगदान से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है। यह दिन हमें महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

महिला दिवस का इतिहास

महिला दिवस का इतिहास 20वीं शताब्दी की शुरुआत से जुड़ा है। 1908 में, न्यूयॉर्क में महिलाओं ने काम के लिए बेहतर परिस्थितियों, वेतन में समानता और वोटिंग अधिकारों की मांग की। 1909 में, अमेरिका में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। 1910 में कोपेनहेगन में हुए समाजवादी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में क्लारा जेटकिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा।

1911 में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1975 में, संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। तब से, यह दिन वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।

महिलाओं की भूमिका और योगदान

महिलाएँ समाज का आधार हैं। वे केवल परिवार की संरक्षक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक

विकास की धुरी भी हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत और दृढ़ता से एक पहचान बनाई है।

1. **परिवार में भूमिका:** महिलाएँ एक माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में परिवार को जोड़ने और संवरने का काम करती हैं। वे बच्चों के पालन-पोषण और संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
2. **शिक्षा क्षेत्र में योगदान:** सावित्रीबाई फुले और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। आज भी कई महिलाएँ शिक्षाविद् के रूप में समाज को प्रेरित कर रही हैं।
3. **राजनीति में योगदान:** इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और कल्पना चावला जैसी महिलाएँ राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में आदर्श हैं।
4. **आर्थिक क्षेत्र में योगदान:** महिलाएँ आज व्यवसाय, बैंकिंग, आईटी, और अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। वे उद्यमिता में भी अपनी पहचान बना रही हैं।

महिलाओं के अधिकार और उनकी आवश्यकता

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण और उनका सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार हैं:

1. **शिक्षा का अधिकार:** हर महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि शिक्षा सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है।

2. **समानता का अधिकार:** महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।
3. **स्वास्थ्य का अधिकार:** महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ और पोषण मिलना चाहिए।
4. **सुरक्षा का अधिकार:** उन्हें घरेलू हिंसा, शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
2. **कानूनी संरक्षण:** महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए।
3. **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. **जागरूकता अभियान:** समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी महत्ता के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

महिलाओं के सशक्तिकरण के बावजूद, वे कई चुनौतियों का सामना करती हैं:

1. **लैंगिक भेदभाव:** महिलाओं को कई बार पुरुषों के समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते।
2. **घरेलू हिंसा:** समाज में घरेलू हिंसा की घटनाएँ महिलाओं के जीवन को कठिन बनाती हैं।
3. **शैक्षिक असमानता:** ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, अभी भी लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।
4. **आर्थिक असमानता:** कामकाजी महिलाओं को वेतन में असमानता और कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

महिला सशक्तिकरण के उपाय

1. **शिक्षा का प्रसार:** महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि यह महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों को पहचानने का एक अवसर है। यह दिन हमें महिलाओं के योगदान का सम्मान करने और उनके लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि लैंगिक समानता से ही समाज का समग्र विकास संभव है।

महिला दिवस, महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाओं के योगदान के बिना समाज का विकास अधूरा है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के सभी अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व है। एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है।

अतः, हमें महिला दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे और उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे।



हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ

हमें गर्व है कि श्री सुमित कुमार (644817), वरिष्ठ प्रबंधक और संकाय, केनरा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई), बागलूरु, बेंगलूरु ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीसीटीएच), आरबीआई, पुणे द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ संकाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।



आलेख

स्त्री: आगे बढ़ने की चाहत



शिवानी तिवारी

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय कोलकाता

अक्सर हम सुनते हैं कि महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस तरह से मुसीबतों से निपटना है। जरूरत है तो बस उसके सपनों को आजादी देने की। यूँ भी कह सकती हूँ कि सपनों को पाने के लिए किसी तरह की आजादी की आवश्यकता नहीं है, यदि आगे बढ़ना है तो चाहिए सिर्फ आगे बढ़ने की चाहत और यही काफी है।

आजकल हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सफल महिलाएं वही हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं या यूँ कहें कि नौकरी कर रही हैं और इसी का झंडा लेकर क्रांति की जा रही है। फिर चाहे उन्हें यह मालूम हो या ना हो कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है? कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात महिलाओं के त्याग, समर्पण, उनकी योग्यता, उनकी संवेदनशीलता की व्यापकता और समाज के प्रति उनके योगदान को संकुचित करता-सा प्रतीत होता है।

कहते हैं कि अगर पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष पुरुषमय है तो नारी लक्ष्मी है। अर्थात् वो पुरुष से किसी भी रूप में कम नहीं है। यही हमारे वेदों-पुराणों में भी वर्णित है। तभी तो महाकवि (छायावादी) श्री जयशंकर प्रसाद कहते हैं

**नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग पगतल में
पीयूष-स्त्रोत बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में॥**

अगर भारतीय नारी समाज का इतिहास उठा कर देखें तो पता चलता है कि भारतीय नारी का इतिहास सर्वांगीण रहा है। समय की धारा प्रवाह में हर एक व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति में परिवर्तन होता है, वैसे ही नारी की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और एक लम्बी यात्रा करनी पड़ी। आइए मैं आपको भारतीय नारी के गौरवशाली इतिहास की एक छोटी-सी यात्रा से रुबरू कराती हूँ।

भारतीय नारी के महत्व को प्राचीन काल में ही हमारे ऋषि-मुनियों ने समझ लिया था। उस समय यहां नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। तभी तो हमारे ग्रंथों में इस बात को परिभाषित किया गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

अर्थात् जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। यदि हम अपनी पौराणिक ग्रंथों और काव्यों को भी देखें तो यह पता चलता है कि जब आदिकाल में दानवों ने इस संसार में उपद्रव कर दिया था तब इस धरती के उद्धार के लिए ऋषि-मुनियों ने जिस शक्ति की उपासना की थी, वह देवी दुर्गा थी। हमारे ग्रंथों में इस पृथ्वी को भी धरती मां और वसुंधरा कहा गया है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था।

मध्यकालीन इतिहास को उठाकर देखें तो यह साफ पता चलता है कि समाज में नारी का महत्व कम होने लगा था और इसकी एक बड़ी वजह थी समय-समय पर समाज में फैली हुई कुप्रथाएं। मध्यकाल की नारी एक देवी न रहकर विलास की सामग्री बनने लगी



थी। उसके प्रति श्रद्धा घटने लगी थी। उसे न शिक्षा का अधिकार था, न बोलने का। हमारे राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां उस समय की नारी, समाज और उसके मनोभाव को बड़ी सहजता से बताते हैं:

**अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।**

आधुनिक काल में पुनः नारी के गौरव की प्रतिष्ठा हुई। हमारे महापुरुषों ने समाज में नारी के प्रति फैली हुई कुरतियों के प्रति आवाज उठाया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने सती प्रथा और बाल-विवाह जैसे कुरतियों को समाप्त कर नारी समाज को और सशक्त बना दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय नारी को एक ऐसा मंच प्रदान किया कि वह समाज, देश की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। महारानी झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों का खुद सामना किया और लाखों भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गई। सरोजनी

नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और कस्तूरबा गांधी जैसी महान नारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई।

आज के वर्तमान परिस्थिति में भी नारी की भूमिका अहम है। हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ देश की राष्ट्रपति एक महिला है और वित्त मंत्री भी एक महिला है और यह दर्शाता है कि महिलाओं ने देश की उन्नति में कितना अहम योगदान दिया है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जिन्होंने पुलिस सेवा में एक नए युग की शुरुआत की। मैरी कॉम भारत की पहली महिला मुक्केबाज जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता और देश के लिए गौरव हासिल किया। सुनीता विलियम्स भारत-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। सुधा मूर्ती इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कल्पना चावला भारत-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी सेवाओं के लिए देश के लिए गौरव हासिल किया। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मलाला यूसुफ़ज़ाई पाकिस्तानी कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की चाहत एक शक्तिशाली प्रेरणा है जो उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रिघम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है की 'अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है की लड़कियों को शिक्षा में किसी तरह की कमी न आने दे क्योंकि उन्हें ही आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है। ब्रिघम यंग की बात को अगर सच माना जाए तो उस हिसाब से अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो वह सिर्फ अपना विकास कर पायेगा पर

वहीं अगर कोई महिला सही शिक्षा हासिल करती है तो वह अपने साथ-साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है।

महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे पागलपन ही कहा जाएगा की उनकी प्रतिभा को सिर्फ इसी तर्क पर नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वे मर्द से कम ताकतवर तथा कम गुणवान हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। हमें यह बात समझनी होगी की अगर एक महिला अनपढ़ होते हुए भी घर इतना अच्छा संभाल लेती है तो पढ़ी लिखी महिला समाज और देश को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेगी।

नौकरी करना ही महिलाओं की सफलता नहीं है। सफलता की परिभाषा व्यक्तिगत होती है और यह महिलाओं के लिए भी अलग-अलग हो सकती है।

महिलाओं की सफलता को कई पहलुओं से देखा जा सकता है, जैसे कि:

व्यक्तिगत संतुष्टि: महिलाओं को अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी मिलना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।

पारिवारिक जिम्मेदारियां: महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।

सामाजिक योगदान: महिलाओं को अपने समाज में योगदान करना और दूसरों की मदद करना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।

व्यक्तिगत विकास: महिलाओं को अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास करना और नई चीजें सीखना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।

आर्थिक स्वतंत्रता: महिलाओं को अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।

शिक्षा और ज्ञान: महिलाओं के लिए शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना आगे बढ़ने की चाहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है।

स्वावलंबन: महिलाओं के लिए स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन्हें अपने निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद करता है।

सामाजिक समर्थन: महिलाओं के लिए सामाजिक समर्थन एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है।

आत्मविश्वास: महिलाओं के लिए आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है।

नेटवर्किंग: महिलाओं के लिए नेटवर्किंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है।

महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की चाहत एक शक्तिशाली प्रेरणा है जो उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह चाहत उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ-साथ उनके जीवन में सुधार करने के अवसर प्रदान करना शामिल है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन यह एकमात्र पहलू नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सभी पहलुओं को शामिल किया जाए।

अंततः हम देख रहे हैं कि नारी ही मानवता की धुरी है और मानवीय मूल्यों की संवाहक है। एक माता के रूप में अपने मधुर मातृत्व से मानव जाति को जीवित रखती है तो कभी एक पत्नी के रूप में प्रेयसी और प्रेरणा का स्रोत बनकर मानव समाज को संभालती है। जब नारायण को भी धरती पर अवतरित होना था तो उनको भी माता कौशल्या और माता देवकी के गर्भ में आना पड़ा। ये माता की महानता, उसकी करुणा, मातृत्व को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए नारी का हमेशा आदर करना चाहिए। नारी का पृथ्वी पर होना, पृथ्वी का गौरव है।



आलेख

नारी की शक्ति: एक नई पहचान



सीमा गुप्ता

ग्राहक सेवा सहयोगी
विशेषीकृत एस.एम.ई. शाखा
वापी

भाग 1: संघर्ष की शुरुआत

सान्वी का जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ था। गाँव का नाम अजयपुर था, और यह गाँव शहर से काफी दूर था। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी करते थे और महिलाएँ घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थीं। यह ऐसा समय था जब लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और उनका उद्देश्य केवल घर संभालना और शादी के बाद अपने पति का घर संभालना होता था।

सान्वी के परिवार का भी यही मानना था। उसके पिता, भगवानदास, गाँव के एक छोटे से किसान थे। वे हमेशा सोचते थे कि लड़कियों को घर के काम सीखने के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहिए। उनकी माँ, कमलिनी, घर के सभी काम करती थीं और अपनी बेटी को भी यही सिखाना चाहती थीं।

लेकिन सान्वी का दिल कुछ और ही चाहता था। वह पढ़ाई में काफी अच्छी थी और हमेशा अपने पिता से कहती, पापा, मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भगवानदास हमेशा हंसते हुए कहते, डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें शादी भी करनी होगी।

सान्वी को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर वह डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे समाज और परिवार की धारा के खिलाफ चलना होगा।

भाग 2: समाज की चुनौती

जैसे-जैसे सान्वी बड़ी होने लगी, उसकी शिक्षा में रुचि और भी बढ़ने लगी। वह स्कूल जाती थी और अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप करती थी। लेकिन गाँव में ऐसा माहौल था कि लड़कियों के लिए केवल शादी और परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण होता था। जब सान्वी

के पिता ने उसकी पढ़ाई को लेकर गंभीर बात की, उन्होंने कहा कि तुमने जितनी पढ़ाई की, उतनी काफी है। तुम बड़े होकर घर का ध्यान रखो और शादी कर लो।

सान्वी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को साबित नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी बस एक साधारण सी गृहिणी बनकर रह जाएगी। उसे इस समाज से संघर्ष करना था।

उसने पहले तो अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होतीं और उन्हें भी उनके सपनों को पूरा करने का हक है। लेकिन भगवानदास का सोचने का तरीका बहुत कठोर था और उसने कहा, तुम सिर्फ लड़की हो, और तुम्हें यही करना होगा जो मैं कहूँ।

फिर सान्वी ने एक और तरीका अपनाया। उसने खुद को साबित करने के लिए न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की बल्कि उसने गाँव के लड़कों से भी ज्यादा मेहनत की। वह किताबों से लेकर विज्ञान प्रयोगों तक, हर विषय में अव्वल आने लगी।

भाग 3: समाज में बदलाव लाने का सपना

सान्वी के मन में अब यह विचार था कि सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में महिलाओं के लिए बदलाव लाना चाहिए। उसने तय किया कि वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपनी जैसी अन्य लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिलाएगी। इसके लिए उसने गाँव में एक महिला शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।

इस कार्यक्रम में सान्वी ने उन लड़कियों को शामिल किया जो स्कूल नहीं जा पाती थीं और उन महिलाओं को भी जो अपने घर के कामों से समय नहीं निकाल पाती थीं। सान्वी ने इन महिलाओं को

यह समझाया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही समाज में बदलाव ला सकती है।

शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं क्योंकि गाँव में कई लोग महिलाओं और लड़कियों को बाहर काम करने के खिलाफ थे। लेकिन सान्वी ने हार नहीं मानी और हर किसी को यह समझाने की कोशिश की कि महिला सशक्तिकरण से पूरे समाज का विकास होगा।

भाग 4: कठिन रास्ता, बड़ी उम्मीदें

समय के साथ सान्वी ने कुछ महिला कार्यशालाएँ आयोजित की, जिनमें उन्होंने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, और बुनाई सिखाई। इसके साथ ही, उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी ताकि वे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो सकें।

सान्वी ने महसूस किया कि अगर महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास हो, तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। धीरे-धीरे गाँव की महिलाएँ सान्वी की ओर आकर्षित होने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ताकत से वे अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं।

यह बदलाव केवल महिलाओं के जीवन तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे गाँव में एक नई उम्मीद की किरण जगी। अब महिलाएँ घर के कामों से बाहर निकलकर समाज में योगदान देने लगीं।

भाग 5: सामाजिक प्रतिरोध और सफलता की ओर एक कदम

हालाँकि सान्वी के प्रयासों को सफलता मिल रही थी लेकिन गाँव में कई लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाएँ घर के कामों से बाहर क्यों जाएँ? उनका स्थान घर में ही है। लेकिन सान्वी

ने कभी हार नहीं मानी। उसने उन विरोधियों से कहा, हम महिलाएँ भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं।

सान्वी के निरंतर संघर्ष ने उसे न केवल अपनी पहचान दिलाई, बल्कि पूरे गाँव में बदलाव लाया। अब महिलाएँ न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही थीं बल्कि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो रही थीं।

भाग 6: महिला दिवस का महत्व

कुछ सालों बाद, सान्वी ने गाँव में महिला दिवस मनाने की योजना बनाई। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं था बल्कि यह दिन महिलाओं के संघर्ष, सफलता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया। सान्वी ने इस दिन को खास बनाने के लिए महिलाओं की

कहानियाँ साझा की जिन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया था और अब वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना चुकी थीं।

महिला दिवस पर, सान्वी ने यह संदेश दिया कि महिला

सशक्तिकरण का असली मतलब है महिलाओं को उनके अधिकारों का एहसास दिलाना, और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना।

भाग 7: शिक्षा का असली उद्देश्य

सान्वी ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई कार्यशालाएँ आयोजित कीं, जहाँ उन्होंने महिलाओं को न केवल पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास कितना जरूरी होता है। महिलाओं को



यह एहसास दिलाना कि वे किसी भी काम में पुरुषों से कम नहीं हैं, सान्वी का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था।

गाँव की महिलाओं ने धीरे-धीरे सान्वी की शिक्षा और कार्यशालाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को नया दिशा देनी शुरू की। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उन्होंने न केवल घर के कामों के अलावा बाहर भी काम करना शुरू किया बल्कि अब वे अपने घर के आर्थिक स्तर को भी ऊँचा करने में सक्षम हो गईं।

शुरुआत में, महिलाएँ इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थीं। कई बार उन्हें यह डर था कि समाज उन्हें नकारेगा और उनका विरोध करेगा। लेकिन सान्वी ने उन्हें समझाया कि बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी डर हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता।

महिलाओं की यह शिक्षा एक नई क्रांति का रूप लेने लगी। गाँव के पुरुषों ने भी इस बदलाव को देखा और समझा कि अगर महिलाओं को भी उनके हक मिले तो समाज में बदलाव लाना और आगे बढ़ना संभव है।

भाग 8: गाँव का आर्थिक सशक्तिकरण

कविता और सान्वी की योजनाएँ अब गाँव में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही थीं बल्कि गाँव के आर्थिक हालात भी बेहतर होने लगे थे। सान्वी ने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के अलावा छोटे-छोटे व्यवसाय भी शुरू करने की योजना बनाई।

सान्वी ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया ताकि वे अपने घर के छोटे-मोटे कामों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त आय कमा सकें। उसने महिलाओं को बागवानी, खेतों में सब्जियाँ उगाने, और छोटे व्यापार जैसे दूध और फल बेचने के बारे में भी बताया।

कई महिलाओं ने सान्वी की मदद से अपने घरों के लिए छोटे व्यवसाय शुरू किए और अपनी आय बढ़ाने में सफल रही। पहले जो महिलाएँ खुद को दूसरों के सामने बहुत कमजोर महसूस करती थीं, अब वे आत्मनिर्भर बन चुकी थीं और समाज में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो गईं।

सान्वी ने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए उसने उनके उत्पादों को स्थानीय

बाजार में पहुंचाने के लिए कई पहल कीं। धीरे-धीरे, गाँव की महिलाएँ अपनी बनाई हुई वस्तुओं को बेचने के लिए शहरों तक पहुंचने लगीं, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ।

भाग 9: समाज की सोच में बदलाव

गाँव के पुरुषों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को देखा और अपनी सोच में बदलाव लाने लगे। पहले जो लोग महिलाओं के बाहर काम करने को गलत मानते थे, अब वे समझने लगे थे कि अगर महिलाएँ अपने काम में हाथ बटाती हैं तो घर की स्थिति बेहतर हो सकती है।

सान्वी ने हमेशा यह सिखाया कि घर के पुरुषों को भी अपनी पत्नी और बेटियों के हक को समझना चाहिए और उनके आत्मनिर्भर बनने में मदद करनी चाहिए। पुरुषों ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया और धीरे-धीरे अपने परिवारों के साथ समानता का व्यवहार करने लगे।

अब गाँव में शिक्षा का स्तर बेहतर हो गया था। लड़कियाँ अब न केवल स्कूल जा रही थीं, बल्कि कई लड़कियाँ अब कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर जाने लगीं। गाँव में यह परिवर्तन एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सान्वी का सपना अब हकीकत बन चुकी थी।

भाग 10: महिलाओं का समाज में योगदान

सान्वी के अभियान ने पूरे गाँव में एक नई हवा का संचार किया। अब महिलाएँ घर की चार दीवारों से बाहर निकलकर समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थीं। कई महिलाएँ अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही थीं और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा ले रही थीं।

कुछ महिलाएँ अब गाँव की पंचायत में भी शामिल हो गईं और उन्होंने अपने गाँव की भलाई के लिए कई योजनाएँ बनाईं। पहले जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, अब वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं।

सान्वी ने देखा कि उसका सपना अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष से गाँव की महिलाएँ न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही थीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सम्मान में भी वृद्धि हो रही थी। अब महिलाएँ अपने बच्चों

को अच्छे से पढ़ाती थीं और उन्हें भी यही सिखाती थीं कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है।

भाग 11: महिला दिवस की धूम

महिला दिवस अब गाँव के लिए एक बड़ा उत्सव बन चुका था। सान्वी ने महिला दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें गाँव की सभी महिलाओं को उनके संघर्ष और सफलता के लिए सम्मानित किया जाता था।

महिला दिवस के दिन, सान्वी ने महिलाओं के जीवन में आए बदलावों पर बात की। उसने कहा, महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। यह एक दिन है, जब हम अपनी शक्ति और पहचान को याद करते हैं। यह दिन हमें यह बताता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और अगर हमें समान अवसर मिलें तो हम किसी भी काम में पुरुषों से आगे जा सकती हैं।

गाँव की महिलाएँ अब गर्व से कहती हैं कि हम महिलाएँ अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और यह केवल सान्वी की मेहनत का परिणाम नहीं था बल्कि यह उन सभी महिलाओं की सामूहिक शक्ति थी जिन्होंने खुद को साबित करने के लिए संघर्ष किया था।

भाग 12: सान्वी की यात्रा का समापन

समय बीतता गया और सान्वी ने अपने गाँव में शिक्षा, सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए जो कार्य किए, वह पूरे जिले में चर्चित हो गए। सान्वी ने कई और गाँवों में जाकर महिला सशक्तिकरण के बारे में भाषण दिए और महिला शिक्षा के महत्व को बताया।

वह मानती थी कि समाज में बदलाव तब ही संभव है जब महिलाएँ खुद को पहचानें और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों। सान्वी ने यह साबित किया कि अगर एक महिला अपने सपनों को साकार करने की ठान ले तो वह समाज में क्रांति ला सकती है।

आज सान्वी एक प्रेरणा बन चुकी है। उसकी यात्रा न केवल उसकी खुद की सफलता की कहानी है बल्कि यह हर महिला की कहानी है जो अपनी शक्ति को पहचानती है और दुनिया में बदलाव लाती है।



शिवानी कुमारी

अधिकारी
आश्वासन अनुभाग अंचल
कार्यलाय, पटना



कविता

नारी की पहचान

बेबस लाचार बेचारी नहीं,
तू किस्मत की मारी नहीं।
तू है विजयी तू शक्ति स्वरूपा
तू है प्रकाशित खुद की रोशनी से
तू है सबला, तू अभिलाषी
तू है धरा की मृदु भाषी
तू रचनाकार खुद की किस्मत का
जो जन्म भी दे जो सृष्टि रचें
वो खूबसूरत कलाकृति हो तुम
खुद की हमेशा बाद में सोचे
वो निःस्वार्थ की जननी हो तुम
बहुत किया दूसरों के लिए
अब बारी तुम्हारी है
बहुत सुन लिया इस दुनिया को
अब सुनाने की बारी तुम्हारी है
बहुत दिया परिचय अबला नारी का
अब स्वालंबन की बारी तुम्हारी है
तुम रचनाकार तुम शिल्पकार हो अपने मूर्त की
तुम जीवन रचो, संचार करो अब सृजन की बारी तुम्हारी है।



दिनांक 23.12.2024 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठक के दौरान 'हिंदी नोटिंग सहायिका' का विमोचन करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. सत्यनारायण राजु, कार्यपालक निदेशक श्री अशोक चन्द्र, मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग श्री डी सुरेन्द्रन, महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग श्री टी. के. वेणुगोपाल, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण) के निदेशक श्री अनिर्बान कुमार विश्वास व सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), श्री ई रमेश।



दिनांक 15.01.2025 से 17.01.2025 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा अंचल कार्यालय मुंबई का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के समापन पर उप समिति के माननीय सांसद उपाध्यक्ष श्री भतृहरि महताब से सफल निरीक्षण हेतु प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री अजय कुमार, उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई (दक्षिण), साथ में उपस्थित हैं श्री पुरुषोत्तम चंद, मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय मुंबई, श्री टी. के. वेणुगोपाल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु एवं श्री ई रमेश, सहायक महाप्रबंधक/पर्यवेक्षी कार्यपालक (राजभाषा), प्रधान कार्यालय एवं श्री राघवेंद्र कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)।



केनरा बैंक
Canara Bank
A Government of India Undertaking



Together We Can

लक्ज़री बैंकिंग का नया अनुभव



केनरा बैंक लाये हैं अपने खाताधारकों के लिए एक एलिट क्लब प्रोग्राम - केनरा क्रेस्ट। यह आपकी जीवनशैली के अनुरूप आपको विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

आपकी मौजूदगी हमें सर्वोत्तम के लिए प्रेरित करती है।



विशिष्ट सुविधाएं*

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| उच्च क्रेडिट सीमा युक्त प्रीमियम डेबिट/क्रेडिट कार्ड | एयरपोर्ट लाउन्ज में प्रवेश (अंतरराष्ट्रीय/अंतर्देशीय) | मुफ्त फिटपास प्रो मैक्स सदस्यता |
| एयरपोर्ट में बैगेज सहायता | होटल प्रवास के वाउचर्स | इजीडायनर मुफ्त वार्षिक सदस्यता |
| जीवनशैली संबंधित विशेष ऑफर्स | प्रीमियम होटल में कभी भी चेक-इन सुविधा | और भी बहुत कुछ |

प्रत्येक शाखा पर प्राथमिकता के साथ सेवाएं पाएं

सदस्यता : एसबी बैलेन्स (₹10 लाख व अधिक) | क्रेस्ट सेन्सेन्ट (₹10-50 लाख) | क्रेस्ट प्लस सेन्सेन्ट (₹50 लाख व अधिक)
उपलब्ध है : वासे मौजूदा/नए ग्राहक



अधिक जानकारी के लिए
QR कोड स्कैन करें

विषय व शर्तें पढ़ें

*केनरा क्रेस्ट प्रोग्राम में ग्राहकों के जीवन के अनुरूप सेवाएं ही शामिल हैं।